रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2017/भाद्र 28, 1939
No. 366] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017/ BHADRA 28, 1939

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. आरसीबी/ओआरडी/2017/01.— प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 की 36वीं) की धारा 42 के साथ-साथ धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (एफ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्-द्वारा प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति की ओर से प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र के लिए अध्यादेशों को अधिसूचित करती है।

"प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र
(कार्यक्रम सलाहकार समिति)
अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. आरसीबी/ओआरडी/2017/01.—प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) की धारा 42 के साथ पठित धारा 17 की उप-धारा (4) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात् :-

अध्यादेश – 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.1 इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अध्यादेश, 2017 है ।

1.2 ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अध्यादेश – 2

परिभाषाएं

2.1 इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) अभिप्रेत है ;

(ii) "शैक्षणिक कैलेन्डर" से प्रवेश सम्बन्धी समय सारणी, रजिस्ट्रीकरण, दीर्घकालिक छुट्टियां, परीक्षाएं और परिणामों की घोषणा, जैसे शैक्षणिक क्रियाकलापों को निदर्शित करने वाला शैक्षणिक कैलेन्डर अभिप्रेत है ;

(iii) "शैक्षणिक समिति" से प्रादेशिक केन्द्र या उसके मान्यताप्राप्त केन्द्र की शैक्षणिक समिति अभिप्रेत है, जो अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-मार्गदर्शित क्रियाकलापों को करने हेतु शैक्षणिक और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है ;

(iv) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 14 के अधीन गठित शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(v) "अध्यक्ष बोर्ड" से अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(vi) "अध्यादेश" से इन अध्यादेशों का कोई अध्यादेश अभिप्रेत है ;

(vii) "कार्यक्रम सलाहकार समिति" अधिनियम की धारा (17) के अधीन गठित कार्यक्रम सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(viii) "मान्यताप्राप्त केन्द्र" से परिनियमों के अधीन उस रूप में मान्यताप्राप्त उच्चतर विद्या केन्द्र अभिप्रेत है ;

(ix) "प्रादेशिक केन्द्र" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अभिप्रेत है ;

(x) "छात्र सलाहकार समिति" से प्रादेशिक केन्द्र या उसके मान्यताप्राप्त केन्द्र के वर्तमान छात्र के परामर्शदाता, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए गठित संकाय सदस्यों की समिति अभिप्रेत है ;

(xi) "विनियम" से अधिनियम की धारा 43 के अधीन प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ; और

(xii) "परिनियम" से अधिनियम की धारा 41 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए परिनियम अभिप्रेत हैं ।

2.2 उन शब्दों या पदों के, जो इन अध्यादेशों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्यादेश – 3

शैक्षणिक समिति

3.1 प्रादेशिक केन्द्र और इसके मान्यताप्राप्त केन्द्र के अध्ययन बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उनका प्रबंध करने के लिए पृथक स्वतंत्र शैक्षणिक समितियां होंगी और शैक्षणिक समिति की सिफारिशें अनुसमर्थन के लिए अध्ययन बोर्ड में रखी जाएंगी ।

3.2 प्रादेशिक केन्द्र की शैक्षणिक समिति की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-

(i) प्रादेशिक केन्द्र से ऐसे दो ज्येष्ठ संकाय सदस्य, जो कार्यकारी निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं.....सदस्य ;

IndiaCode

(ii) एक बाह्य शिक्षाविद्, जो अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए.....सदस्य ;

(iii) एक बाह्य शिक्षाविद्, जो अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए.....सदस्य ;

(iv) प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव.....सदस्य ; और

(v) प्रादेशिक केन्द्र से शैक्षणिक समन्वयक, जो कार्यपालक निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए.....सदस्य-सचिव ।

3.3 मान्यताप्राप्त केन्द्र की शैक्षणिक समिति की संरचना वह होगी जो प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिक केन्द्र (भारत के भीतर उच्चतर शिक्षा संस्था मान्यताप्राप्त संस्था और शैक्षणिक कार्यक्रम संचालन) विनियम, 2017 में उपबंधित है ।

3.4 अध्यादेश 3.2 में नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

3.5 शैक्षणिक समिति की शक्ति का और कृत्य वे होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :-

(i) प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक कार्यक्रम के संचालन और संक्रियाओं का साधारण पर्यवेक्षण करना ;

(ii) शैक्षणिक कैलेन्डर तैयार करना, छात्र मामलों, प्रवेश मानदंड, चयन पद्धतियों और छात्र प्रवेश प्रक्रिया पर सलाह देना ;

(iii) केन्द्र के शैक्षणिक कृत्यों, अनुशासन, आवास, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने तथा हाजरी के बारे में अधिनियम, परिनियमों और इन अध्यादेशों से संगत सन्नियम और मानक बनाना ;

(iv) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के डिप्लोमाओं तथा डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना, उनकी समतुल्यता का अवधारण करना ।

IndiaCode

अध्यादेश – 4

शैक्षणिक कैलेन्डर

4.1 प्रादेशिक केन्द्र के लिए एक शैक्षणिक कैलेन्डर होगा और शैक्षणिक सक्ष प्रसामान्यतः प्रत्येक कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक समिति द्वारा यथा-विहित तारीखों से प्रारम्भ होगा।

4.2 शैक्षणिक सत्रों के लिए तय किए गए महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों और विशिष्टतः विज्ञापन निकालने, प्रवेश के लिए परीक्षा संचालन, यदि कोई अभिविन्यास, रजिस्ट्रीकरण, विलम्ब से रजिस्ट्रीकरण, कक्षाओं का प्रारम्भ किया जाना, दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना, परीक्षा, परीक्षा परिणामों की घोषणा, दीर्घकालीन अवकाश (जहां लागू हो) और ऐसे अन्य विषय, जो शैक्षणिक कैलेन्डर में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए सही तारीखें शैक्षणिक कैलेन्डर में विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

4.3 अध्यादेश 4.1 में निर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र प्रसामान्यतः प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रारम्भ होगा और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दो नियमित सत्र (मानसून सेमेस्टर, जुलाई-दिसम्बर ; और शरत सेमेस्टर, जनवरी-मई) होंगे । प्रत्येक ऐसा सेमेस्टर एक सप्ताह के मध्य सेमेस्टर विश्रान्तिकाल तथा दो सप्ताह की परीक्षा अवधि के अलावा लगभग पन्द्रह कार्य सप्ताह होंगे और इसके अतिरिक्त, जून और जुलाई मास के दौरान चार सप्ताह से छह सप्ताह का ग्रीष्म सेमेस्टर, जिसका अल्पकालीन प्रशिक्षण या कार्यशाला या वैसे ही अन्य कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।

4.4 सत्र के दौरान प्रादेशिक केन्द्र और मान्यताप्राप्त केन्द्र या उसमें किसी परिवर्तन के लिए शैक्षणिक कैलेन्डर से सम्बन्धित शैक्षणिक समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

4.5 अन्तरर्ष्ट्रीय छात्रों को समायोजित करने के लिए शैक्षणिक कैलेन्डर में विहित विभिन्न तारीखों में कुछ सुनम्यता वांछनीय हो सकेगी और ऐसे प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक समिति मामले दर मामले आधार पर आवश्यक शिथिलता प्रदान कर सकेगा ।

अध्यादेश – 5

छात्रों का प्रवेश

5.1 प्रादेशिक केन्द्र, जिसमें मान्यताप्राप्त केन्द्र भी है, अधिनियम, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों का पालन करते हुए किसी या सभी अध्ययन कार्यक्रमों के लिए छात्र को प्रवेश देगा । प्रादेशिक केन्द्र स्त्री-पुरूष और उभयलिंगी, चाहे वे किसी मूलवंश, जाति या वर्ग के व्यक्ति हो, के लिए खुला होगा और छात्रों को प्रवेश देते समय धार्मिक विश्वास या मान्यता के बारे में कोई कसौटी या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

5.2 अधिनियम और परिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई छात्र प्रादेशिक केन्द्र या उसके मान्यता प्राप्त केन्द्र में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए पात्र होगा कि उसने अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सन्नियमों और मानकों के अनुसार प्रवेश या प्रादेशिक केन्द्र द्वारा अध्ययन के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम की पूर्वापेक्षा के रूप में विहित कोई राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ।

5.3 ऐसे सभी छात्रों पर, जो आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हैं, अभ्यर्थी के शैक्षणिक अभिलेख और प्रवेश परीक्षा, मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार, यदि कोई हो जो अध्ययन बोर्ड द्वारा अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अवधारित किया जाए, में उसके निष्पादन के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जा सकेगा ।

5.4 प्रादेशिक केन्द्र या उसके मान्यताप्राप्त केन्द्र द्वारा प्रस्थापित अध्ययन के किसी विनिर्दिष्ट कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर विज्ञापन में नियत और अधिसूचित अंतिम तारीख के भीतर विहित आवेदन प्ररूप (ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों में उपलब्ध) में आवेदन कर सकेंगे ।

5.5 केन्द्रीय प्रादेशिक केन्द्र में विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष परिवर्तित हो सकेगी और संभारतंत्र मुद्दों पर विचार करते हुए शैक्षणिक समिति द्वारा नियत की जाएगी ।

5.6 प्रादेशिक केन्द्र द्वारा प्रस्थापित कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कालावधि अध्ययन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

5.7 किसी छात्र को एक समय में प्रादेशिक केन्द्र के एक से अधिक कार्यक्रम में सामान्यतया प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

5.8 ऐसे अभ्यर्थियों पर, जो अपनी अर्हक डिग्री के अन्तिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हों, इस शर्त के अधीन रहते हुए कार्यक्रम अनंतिम प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा कि वे सभी अन्य अपेक्षा को पूरा करते हैं ।

5.9 ऐसा प्रत्येक छात्र, जिसे प्रादेशिक केन्द्र के अध्ययन के किसी कार्यक्रम में अनंतिम रूप से या अन्यथा प्रवेश दिया गया है, अर्हक डिग्री या अनंतिम प्रमाणपत्र की प्रतियां प्रस्तुत करेगा या अन्य ऐसे दस्तावेज, जो शैक्षणिक समिति द्वारा अवधारित की जाएं तथा ये दस्तावेज, उस तारीख तक, जो ऐसे प्रयोजन के लिए अवधारित की जाए, प्रस्तुत किए जाने चाहिए । किसी ऐसे छात्र का अनंतिम प्रवेश या अन्यथा, जो न तो नियत तारीख तक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करता है या प्रवेश के लिए किसी अन्य नियत अपेक्षा को पूरा करने में असफल रहता है, रद्द कर दिया जा सकेगा ।

5.10 यदि कोई छात्र, जिसे अध्ययन के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, चिकित्सक दृष्टया अयोग्य पाया जाता है, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा । अभ्यर्थी को विहित फीस का संदाय करने के पश्चात् प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र के अध्ययन से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट चयन मानदंड के आधार पर प्रादेशिक केन्द्र के कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा ।

5.11 प्रादेशिक केन्द्र के अध्ययन के कार्यक्रमों में प्रवेश दिए गए सभी छात्र/छात्रों को वास्तविक छात्र के रूप में पहचान पत्र जारी किया जाएगा और ऐसा पहचान पत्र प्रादेशिक केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

5.12 यदि किसी समय यह पाया जाता है कि ऐसे छात्र ने मिथ्या या गलत कथन किया या प्रवेश पाने के लिए अन्य कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग किया है, उसका नाम प्रादेशिक केन्द्र की नामावली से हटा दिया जाएगा ।

अध्यादेश – 6

विदेश से आए छात्रों का प्रवेश

6.1 अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रादेशिक केन्द्र अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ायेगा और अन्य राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा यूनेस्को के सदस्य देशों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा प्रादेशिक केन्द्र के विजन और उद्देश्यों को पूरा करते हुए क्षेत्र में ऐसी अन्य संस्थाओं के निकट सहयोग से कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

6.2 प्रादेशिक केन्द्र ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर उद्घोषित भारत सरकार के सन्नियमों और मानकों का पालन करते हुए विदेश से आए हुए छात्रों को प्रवेश देगा ।

6.3 भारतीय विदेशी शिक्षा के संवर्धन के लिए भारत सरकार की स्कीम और इसके पश्चात्, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं, जिनके अन्तर्गत भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों (एनआईटी) या भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आईआईटी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित सरकार के मंत्रालय के विदेशी छात्रों को सीधा प्रवेश (डीएएसए) देने सम्बन्धी स्कीम भी है, अध्यादेश 6.2 में निर्दिष्ट छात्रों के प्रवेश के लिए आधार तैयार करेंगी ।

6.4 भारत सरकार की स्कीम और कार्यक्रम, जैसे प्रवासी बालकों के लिए छात्रवृत्ति का भी अध्यादेश 6.2 में निर्दिष्ट और प्रादेशिक केन्द्र में प्रवेश दिए गए छात्रों के मामले में अनुसरण किया जाएगा ।

6.5 प्रादेशिक केन्द्र ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, के साथ विदेशी छात्रों के प्रवेश का समर्थन करने के लिए छात्रवृत्ति या अध्येयतावृत्ति भी संस्थित करेगा ।

अध्यादेश – 7

अध्ययन के कार्यक्रमों के लिए छात्रों का रजिस्ट्रीकरण

7.1 प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारम्भ से पूर्व प्रत्येक छात्र जब तक अन्यथा, शैक्षणिक समिति द्वारा छूट प्राप्त न हो, शैक्षणिक कैलेन्डर में यथा-विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण तारीख को उस सेमेस्टर के दौरान अध्ययन किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

7.2 प्रत्येक छात्र को अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-अवधारित छात्रों के लिए आचार संहिता और शैक्षणिक सत्यनिष्ठा का अनुसरण और पालन करने के लिए एक वचनबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

7.3 सेमेस्टर फीस और प्रादेशिक केन्द्र के आवास हॉलों या किसी अन्य मान्यताप्राप्त खंड के लिए छात्र के नाम में बकाया सभी अन्य शोध्यों का संदाय अध्यादेश 7.1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए सामान्यतः एक पूर्व शर्त होगी ।

7.4 वास्विक कारणों के लिए छात्रों को विहित विलम्ब रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय और शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन पर शैक्षणिक कैलेन्डर में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख को किसी सेमेस्टर में विलम्ब से रजिस्टर करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

7.5 अध्यादेश 7.1 के अधीन किसी छात्र के रजिस्ट्रीकरण को शैक्षणिक समिति द्वारा अधिकथित सन्नियमों के अनुसार भागतः या पूर्णतः सेमेस्टर के दौरान रद्द किया जा सकेगा या बदला जा सकेगा ।

7.6 प्रादेशिक केन्द्र में किसी छात्र को किसी पाठ्यक्रम में लैटर ग्रेट केवल तभी दिया जा सकेगा, जब छात्र लैटर ग्रेड दिए जाने के समय पाठ्यक्रम में सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत किया गया है और छात्र के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई देय नहीं है ।

7.7 अध्यादेश 7.1 के अधीन किसी छात्र का रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) छात्र प्रादेशिक केन्द्र से पत्र में उसके उल्लिखित कारणों के कारण त्यागपत्र देता है;

(ख) छात्र निरंतर अनुपस्थित रहता है या वह दस कार्यदिवसों तक किसी सूचना के बिना प्रयोगशाला या प्रादेशिक केन्द्र से अनुपस्थित रहता है ;

(ग) प्रादेशिक केन्द्र के अनुशासनिक सन्नियमों और मानकों के अनुसार किसी अन्य अप्रिय घटना या अनुशासनिक कार्यवाइयों के कारण ।

अध्यादेश – 8

डॉ ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम

8.1 प्रवेश:

8.1.1 प्रादेशिक केन्द्र में डॉ ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में मान्यताप्राप्त संस्था से मास्टर डिग्री होगी या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक समिति द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री होगी और शैक्षणिक समिति ऐसे पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम अर्हत अंक निर्धारित करेगी।

8.1.2 अध्यादेश 8.1.1 में विनिर्दिष्ट अर्हता के अतिरिक्त प्रवेश पाने वाला अभ्यर्थी डॉ ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेगा और ऐसी परीक्षा के अन्तर्गत डॉक्टरल अध्येयतावृत्ति या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुदान परिषद् या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या जैव प्रौद्योगिकी विभाग या किसी अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रवेश पात्रता परीक्षा भी है।

8.1.3 ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके पास अध्यादेश 8.1.1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं और जिन्होंने अध्यादेश 8.1.2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हैं, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों, जो शैक्षणिक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के पश्चात् डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

8.1.4 आरक्षणों और छूट से सम्बन्धित समय पर जारी केन्द्रीय सरकार के आदेशों प्रादेशिक केन्द्र डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसरण किया जाएगा

8.1.5 मान्यताप्राप्त केन्द्र ऐसी सदृश प्रवेश प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका अनुमोदन अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

8.1.6 प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिसूचना को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा प्रादेशिक केन्द्र की वेबसाइट पर व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाएगा।

8.1.7 प्रादेशिक केन्द्र इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी की नीतियों तथा विनिश्चयों का अनुसरण करते हुए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए अन्य देशों से आए छात्रों के प्रवेश के लिए खुला होगा।

8.2 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम की प्रकृति :-

8.2.1 प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम निम्नलिखित दो संघटकों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(i) पाठ्यक्रम कार्य ; और

(ii) शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधान कार्य

8.2.2 प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होगा जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम कार्य भी होगा जो सामान्यतः एक शैक्षणिक वर्ष या दो सेमेस्टरों से अधिक नहीं होगा और ऐसे पाठ्यक्रम कार्य का साधारण लक्ष्य छात्रों को मौलिक प्रयोगशाला कौशल से अवगत कराने के लिए तथा विशेषीकृत क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए व्यपक ज्ञान प्रादन करने के लिए होगा।

8.2.3 प्रादेशिक केन्द्र को कार्यकारी निदेशक द्वारा गठित व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति (एसएसी) प्रादेशिक केन्द्र में प्रत्येक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी छात्र को नियमित परामर्श, पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

8.2.4 अध्यादेश 8.2.2 में निर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि से आगे अधिछात्रवृत्ति अध्यादेश 8.2.3 में निर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति की सिफारिशिक और शैक्षणिक समिति के अनुमोदन के आधार पर जारी कर सकेगी किन्तु आठ वर्ष से आगे नहीं बढ़ायी जाएगी।

8.3 छात्र सलाहकार समिति :-

8.3.1 ऐसा प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र, जिसमें छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए प्रवेश दिया जाता है, प्रत्येक छात्र को मार्गदर्शक और यदि आवश्यक हुआ तो सह-मार्गदर्शक, ऐसे कार्यक्रम के शोधपत्र अनुसंधान संघटक के

आरम्भ से पहले आबंटित करेगा और शैक्षणिक समिति ऐसे मार्गदर्शक और सह-मार्गदर्शक, यदि कोई हो, के नाम का अनुमोदन करेगी।

8.3.2 अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी छात्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए मार्गदर्शकों का प्रत्यायन प्रादेशिक केन्द्र के भीतर शैक्षणिक समन्वयक और सहायक आचार्य या उच्चतर पंक्ति के संकाय की सिफारिशों पर आधारित अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और मान्यताप्राप्त केन्द्र में समतुल्य हैसियत में कोई वैज्ञानिक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम मार्गदर्शक के रूप में विचार किए जाने के लिए पात्र होगा।

8.3.3 अध्यादेश 8.2.3 में निर्दिष्ट व्यष्टिक छात्र सलाहकार समिति, जिसकी अध्यक्षता अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट मार्गदर्शक द्वारा की जाएगी, सहायक आचार्य या उच्चर पंक्ति के समतुल्य ज्येष्ठ सदस्य तथा एक या अधिक बाह्य विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी।

8.3.4 व्यष्टिक छात्र सलाहकार समिति प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी और सम्बद्ध छात्र की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित शैक्षणिक समिति को प्रस्तुत करेगी।

8.3.5 यदि शोधपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट मार्गदर्शक या सहमार्गदर्शक दीर्घकालीन अवकाश पर चला जाता है, त्यागपत्र दे देता है, अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता है, यथा-स्थिति, प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र का संकाय सदस्य नहीं रह जाता है, यथा-स्थिति, नया मार्गदर्शक या सहमार्गदर्शक की नियुक्ति की जाएगी, किन्दु, यदि शोधपत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कार्य या विश्लेषण पूरा हो गया, कार्यक्रम समन्वयक के शोधपत्र के मूल्यांकन सम्बन्धी अधूरी रह गई नौतिक औपचारिताओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा और सम्बन्धित शैक्षणिक समिति ऐसी नियुक्ति और परिवर्तन का अनुमोदन कर सकेगी।

8.3.5 छात्र को शैक्षणिक समिति के अनुमोदन से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के पहले दो वर्ष के दौरान एक से अनधिक बार अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट मार्गदर्शक को बदलने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

8.3.6 छात्र का प्रवेश अध्यादेश 8.3.1 या अध्यादेश 8.3.5 के अधीन विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के प्रथम दो वर्ष के दौरान शैक्षणिक समिति द्वारा अध्यादेश 8.3.1 या अध्यादेश 8.3.1 के अधीन नियुक्त सम्बद्ध मार्गदर्शक द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार प्रगति द्वारा शून्यता के आधार पर और अभ्यर्थी का अपने पक्ष के बचाव में सम्यक अवसर देने के पश्चात् भी रद्द किया जा सकेगा।

8.4 पाठ्यक्रम कार्य :-

8.4.1 अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट छात्र को अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा--विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य पूरा करना होता है और जब कभी किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को विषयों या सहबद्ध विषयों या दोनों पर एक या अनेक टर्म पेपर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम कार्य का मूलभूत आशय अर्थात् छात्र को असीम ज्ञान प्राप्त कराना, पूरा होता है।

8.4.2 अष्ट बिन्दु मानदंड पर, अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट छात्र से अपेक्षा की जाती है कि 6.5 का वह नूयनतम संचीय ग्रेड प्वाइन्ट औसत (सीजीपीए) प्राप्त करता है और अध्यादेश 8.4.1 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात्, प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव अभ्यर्थी को ग्रेड कार्ड जारी करेगा।

8.5 शोधपत्र अनुसंधान कार्य :-

8.5.1 अध्यादेश 8.2.3 में विनिर्दिष्ट व्यष्टिक छात्र सलाहकार समिति अपनी पहली बैठक में अनुसंधान कार्य आरम्भ करने से पूर्व शोधपत्र नयाचार का पुनर्विलोकन और अनुमोदन करेगी।

8.5.2 प्रस्तावित अनुसंधान कार्य के पूरा होने के पश्चात्, व्यष्टिक छात्र सलाहकार समिति शोधपत्र सार का पुनर्विलोकन करेगी और यदि समाधानप्रद रूप में पाया जाता है तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शोधपत्र के रूप में अनुसंधान कार्य को प्रस्तुती करने की सिफारिश करेगा।

8.5.3 अध्यादेश 8.3.2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक समन्वयक प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के माध्यम से अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष को व्यष्टिक छात्र सलाहकार द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार शोधपत्र सार एवं छह परीक्षकों की सूची भेजेगा जो उन चार परीक्षकों को छाटेंगे जो व्यष्टिक छात्र सलाकार समिति द्वारा सिफारिश की गई सूची से हों या नहीं हों और ऐसे परीक्षकों की सहमति शोधपत्र की जांच करने के लिए उनकी रजामंदी की अपेक्षा की जाएगी।

8.5.4 अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट छात्र अध्यादेश 8.2.3 में विनिर्दिष्ट व्यष्टिक छात्र सलाहकार समिति द्वारा सार के अनुमोदन के छह मास के भीतर शोधपत्र की सॉफ्ट कॉपी और साथ ही शोधपत्र की चार हार्ड कॉपी प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) को प्रस्तुत करेगा और ऐसी समय-सीमा को पात्र मामलों में प्रादेशिक केन्द्र संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) दवारा शिथिल की जा सकेंगी ।

8.5.5 प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सूची में पहले दो परीक्षकों को शोधपत्र भेजेगा और उनके साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार को मॉनीटर करेगा ।

8.5.6 अध्यादेश 8.5.5 में निर्दिष्ट परीक्षकों को प्रत्येक रिपोर्ट विनिर्दिष्ट सिफारिशों का निष्कर्ष निकालेगी कि शोधपत्र -

(i) पीएचडी डिग्री देने के लिए स्वीकार किया जाए ;

(ii) पुनरीक्षण के पश्चात् स्वीकार किया जाए ;

(iii) अस्वीकार किया जाए ।

8.5.7 परीक्षकों से शोधपत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रत्याशा की जाती है और इस शोधपत्र रिपोर्ट को प्राप्त करने में हुए अनुचित विलम्ब के मामले में प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के अनुमोदन से परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए परीक्षकों की सूची में अगले व्यक्ति को अनुरोध कर सकेगा ।

8.5.8 यदि अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट छात्र का शोधपत्र दोनों परीक्षकों में अस्वीकार कर दिया जाता है तो छात्र का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।

8.5.9 यदि एक या दोनों परीक्षक अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट छात्र के शोधपत्र का पुनरीक्षण करने का सुझाव देते हैं तो सुझाव दिया गया पुनरीक्षण छात्र को संसूचित किया जाएगा और इसे सम्यकतः पुनरीक्षित किए जाने के पश्चात्, शोधपत्र परीक्षक को पुनः भेजा जाएगा, यदि उसके द्वारा ऐसी सिफारिश की जाती है, अध्यादेश 8.2.3 में विनिर्दिष्ट व्यष्टिक छात्र सलाकार समिति पुनरीक्षणों की स्वीकार्यता के बारे में विनिश्चय करेगी ।

8.5.10 यदि अध्यादेश 8.5.9 में निर्दिष्ट शोधपत्र पुनरीक्षण किए जाने के पश्चात् भी दोनों परीक्षकों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो सम्बद्ध छात्र का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।

8.5.11 यदि अध्यादेश 8.5.9 में निर्दिष्ट शोधपत्र के परीक्षकों में से केवल एक परीक्षक की रिपोर्ट नकारात्मक है, तब प्रादेशिक केन्द्र का संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) तीसरे परीक्षक की राय ले सकता है ।

8.5.12 यदि अध्यादेश 8.5.11 के अधीन नियुक्त तीसरा परीक्षक भी यह घोषणा करता है कि शोधपत्र डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री देने के लिए स्वीकार्य नहीं है तो सम्बद्ध छात्र का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।

8.5.13 यदि अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट छात्र के शोधपत्र की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री देने के लिए सिफारिश की जाती है तो छात्र की अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यथा--विनिश्चित शोधपत्र मार्गदर्शक और शोधपत्र मूल्यांककों में से एक मूल्यांकक से मिलकर बने मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जाएगी और यदि ऐसा परीक्षा बोर्ड छात्र के निष्पादन से संतुष्ट हो जाता है तो वह उस छात्र को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री देने की सिफारिश करने वाली अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा ।

8.5.14 यदि परीक्षा बोर्ड छात्र के निष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसी अन्य तारीख नियत करेगा जो पहली मौखिक परीक्षा की तारीख के पश्चात् एक महीने से पहले की और उससे छह मास से बाद की नहीं होगी और यदि छात्र का निष्पादन दूसरी मौखिक परीक्षा में भी असंतोषजनक पाया जाता है तो मामला विनिश्चय के लिए अध्ययन बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

8.5.15 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यादेश 8.5.13 में निर्दिष्ट मौखिक परीक्षा की बोर्ड की रिपोर्ट डिग्री प्रदान करने के लिए शैक्षणिक समन्वयक के माध्यम से प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के कार्यालय में अवश्य पहुंच जाना चाहिए ।

8.5.16 बोर्ड, अध्ययन बोर्ड की सिफारिश के आधार पर अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट छात्र को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान करने का अनुमोदन करेगी ।

8.5.17 कार्यकारी निदेशक अध्यादेश 8.5.13 और प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) की सिफारिश में निर्दिष्ट मौखिक परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित सम्बद्ध छात्र को अनन्तिम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

8.5.18 अध्यादेश 8.3.1 में निर्दिष्ट ऐसे छात्र को, जो कार्यक्रम से पहले निकलता है, प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा पूरे किए गए पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त किए गए श्रेयों का प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा ।

अध्यादेश – 9

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) डिग्री कार्यक्रम

9.1 प्रवेश :-

9.1.1 प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान या इंजीनियरी या आयुर्विज्ञान में बैचलर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री होगी ।

9.1.2 शैक्षणिक समिति ऐसे प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करेगी ।

9.1.3 प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम में आवेदकों का प्रवेश अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा होगा ।

9.1.4 आरक्षण और छूट से सम्बन्धित समय-समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों का डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रादेशिक केन्द्र में पालन किया जाएगा ।

9.1.5 मान्यताप्राप्त केन्द्र वैसी ही प्रवेश प्रक्रिया, जैसी कि प्रादेशिक केन्द्र के लिए है, का अनुसरण करेंगे जो अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

9.1.6 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा की गई अधिसूचना का राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और प्रादेशिक केन्द्र की वेबसाइट पर व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा ।

9.1.7 प्रादेशिक केन्द्र, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम के लिए अन्य देशों से आए छात्रों को इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सन्नियमों और मानकों का पालन करते हुए, प्रवेश देने के लिए खुला होगा ।

9.2 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम की प्रकृति :-

9.2.1 प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम निम्नलिखित संघटकों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(i) पाठ्यक्रम कार्य और शोध निबंध (यदि बहिर्गमन विकल्प का प्रयोग किया जाता है या उसकी सिफारिश की जाती है) ;

(ii) डॉक्टरल शोधपत्र के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुसंधान कार्य ।

9.2.2 इस अध्यादेश में निर्दिष्ट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम की अवधि कम से कम पांच वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष होगी जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम कार्य भी है और ऐसे पाठ्यक्रम कार्य का सामान्य उद्देश्य छात्रों को मौलिक प्रयोगशाला कौशल से अवगत कराना और विशेषीकृत क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक ज्ञान उपलब्ध कराना होगा ।

9.2.3 अध्यादेश 8.2.3 के अधीन गठित व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति (एसएसी) प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र का नियमित मॉनीटरी, पर्यवेक्षण और उसका मार्गदर्शन करेगी।

9.2.4 सात वर्ष की अवधि से आगे अधिछात्रवृत्ति अध्यादेश 9.2.3 में निर्दिष्ट व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति की सिफारिश और शैक्षणिक समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर जारी रह सकेगी किन्तु यह अवधि आठ वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ायी जाएगी।

9.2.5 प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए छात्र को अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य को पूरा करना है ।

IndiaCode

9.2.6 अष्ट बिन्दु मानदंड पर अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र से अध्याय 9.2.5 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य में 6.5 की न्यूनतम संचेय ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

9.2.7 अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र कार्यकारी निदेशक द्वारा नियुक्त मार्गदर्शक के पर्यवेक्षणाधीन शोधपत्र अनुसंधान कार्य करेंगे और प्रगति को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति द्वारा मॉनीटर किया जाएगा।

9.2.8 अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र अध्यादेश 9.2.3 में निर्दिष्ट व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति को अनुसंधान के प्रथम वर्ष में पूरा करने के एक मास पूर्व प्रगति की प्रस्तुती करेंगे।

9.2.9 व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति अनुसंधान के लिए ऐसे छात्र की प्रगति और अभिरूचि का मूल्यांकन करेगी तथा तद्नुसार अध्यादेश 9.2.3 में निर्दिष्ट व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति डॉक्टरल शोधपत्र या मास्टर शोध निबंध के रूप में छात्र द्वारा किए गए कार्य के प्रस्तुत किए जाने के लिए अधिछात्रवृत्ति और अनुसंधान कार्य को जारी रखने की सिफारिश करेगी।

9.2.10 अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र पाठ्यक्रम कार्य और शोध निबंध से अनुबंधित श्रेयों को प्राप्त करने के पश्चात् मास्टर डिग्री के साथ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम को ड्रॉप आउट करने के विकल्प का भी प्रयोग कर सकेगा।

9.2.11 मास्टर शोध निबंध के कार्य रिपोर्ट की अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र द्वारा प्रस्तुति और मौखिक परीक्षा के माध्यम से अध्यादेश 9.2.3 में निर्दिष्ट व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति द्वारा जांच की जाएगी और यदि संतोषजनक पाया जाए तो अध्यादेश 9.2.3 में निर्दिष्ट व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगी।

9.2.12 पाठ्यक्रम कार्य और मास्टर निबंध शोध के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात् प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र को ग्रेड कार्ड जारी करेगा और उन छात्रों को, जो अध्ययन बोर्ड न्यूनतम विनिर्दिष्ट या उससे अधिक संचय ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करते हैं, विज्ञान निष्णात की डिग्री प्रदान की जाएगी।

9.2.13 इस बारे में विनिश्चय कि क्या अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र को पहले प्रयास में आवश्यक ग्रेड प्राप्त न करने की दशा में दूसरा और अन्तिम अवसर अनुज्ञात किया जाएगा या नहीं, व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर शैक्षणिक समिति द्वारा किया जाएगा।

9.2.14 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (एकीकृत) कार्यक्रम से जल्दी बहिर्गमन करनेवाले अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र को प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा पूरे किए गए पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त श्रेयों का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

अध्यादेश – 10

विज्ञान निष्णात उपाधि कार्यक्रम

10.1 प्रवेश :-

10.1.1 प्रादेशिक केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान या इंजीनियरी या आयुर्विज्ञान में बैचलर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री होगी और शैक्षणिक समिति ऐसे प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम अर्हक अंक अनुमोदित करेगी।

10.1.2 प्रादेशिक केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में आवेदकों का प्रवेश अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा होगा।

10.1.3 आरक्षण और छूट से सम्बन्धित समय-समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों का विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रादेशिक केन्द्र में पालन किया जाएगा।

10.1.4 मान्यताप्राप्त केन्द्र वैसी ही प्रवेश प्रक्रिया, जैसी कि प्रादेशिक केन्द्र के लिए है, का अनुसरण करेंगे जो अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

10.1.5 विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा की गई अधिसूचना का राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और प्रादेशिक केन्द्र की वेबसाइट पर व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10.1.6 प्रादेशिक केन्द्र, विज्ञान निष्णात कार्यक्रम के लिए अन्य देशों से आए छात्रों को इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सन्नियमों और मानकों का पालन करते हुए, प्रवेश देने के लिए खुला होगा।

10.2 विज्ञान निष्णात कार्यक्रम की प्रकृति :-

10.2.1 प्रादेशिक केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम और मान्यताप्राप्त केन्द्र निम्नलिखित संघटकों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(i) पाठ्यक्रम कार्य ; और

(ii) मास्टर शोधपत्र के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुसंधान कार्य ।

10.2.2 प्रादेशिक केन्द्र और मान्यताप्राप्त केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम की अवधि सामान्यतः दो वर्ष होगी जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम कार्य भी है और ऐसे पाठ्यक्रम कार्य का सामान्य उद्देश्य छात्रों को मौलिक प्रयोगशाला कौशल से अवगत कराना और विशेषीकृत क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का व्यापक ज्ञान उपलब्ध कराना होगा ।

10.2.3 कार्यकारी निदेशक द्वारा गठित व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति (एसएसी) प्रादेशिक केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र की नियमित मॉनीटरी, पर्यवेक्षण और उसका मार्गदर्शन करेगी।

10.2.4 अध्यादेश 10.2.2 में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि से आगे अधिछात्रवृत्ति व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति की सिफारिश और शैक्षणिक समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर जारी रह सकेगी किन्तु ऐसी अवधि तीन वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ायी जाएगी ।

10.2.5 प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्रों में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए छात्रों को अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य को पूरा करना है।

10.2.6 अष्ट बिन्दु मानदंड पर प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए छात्र से अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य में 6.5 की न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है ।

10.2.7 निबंध शोध कार्य प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र या किसी सहयोगी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदार में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए छात्र द्वारा किया जा सकता है ।

10.2.8 अध्यादेश 10.2.7 में निर्दिष्ट शोध निबंध के रिपोर्ट की सम्बद्ध छात्र द्वारा प्रस्तुति और मौखिक परीक्षा के माध्यम से व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति द्वारा जांच की जाएगी और यदि संतोषजनक पाया जाए तो व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

10.2.9 अध्यादेश 10.2.5 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य और अध्यादेश 10.2.7 में निर्दिष्ट निबंध शोध कार्य के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात् प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव सम्बद्ध छात्र को ग्रेड कार्ड जारी करेगा ।

10.2.10 उन छात्रों द्वारा, जिन्हें प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है और जो अध्ययन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक अंक या ग्रेड प्राप्त करते हैं, पाठ्यक्रम अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना घोषित किया जाएगा और जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि प्रदान की जाएगी ।

10.2.11 इस बारे में विनिश्चय कि क्या प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए छात्र को पहले प्रयास में आवश्यक ग्रेड प्राप्त न करने की दशा में दूसरा और अन्तिम अवसर अनुज्ञात किया जाएगा या नहीं, अध्यादेश 10.2.3 में निर्दिष्ट छात्र व्यष्टिक विनिर्दिष्ट छात्र सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर शैक्षणिक समिति द्वारा किया जाएगा ।

10.2.12 प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया ऐसा छात्र को, जो कार्यक्रम से जल्दी बहिर्गमन करता है, कुलसचिव द्वारा पूरे किए गए पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त श्रेयों का प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा ।

अध्यादेश – 11

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

11.1 प्रवेश :-

11.1.1 प्रादेशिक केन्द्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी) में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान या इंजीनियरी या आयुर्विज्ञान में बैचलर डिग्री होगी या उसके समतुल्य डिग्री और उसमें शैक्षणिक समिति द्वारा यथा-निर्धारित न्यूनतम अंक भी होंगे ।

11.1.2 प्रादेशिक केन्द्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा--विनिश्चत लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के माध्यम से किया जाएगा ।

11.1.3 आरक्षण और छूट से सम्बन्धित समय-समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों का प्रादेशिक केन्द्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पालन किया जाएगा ।

11.1.4 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा अधिसूचना राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा प्रादेशिक केन्द्र की वेबसाइट में व्यापक रूप से विज्ञापित की जाएगी ।

11.1.5 प्रादेशिक केन्द्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अन्य देशों से आए छात्रों को प्रवेश देने हेतु इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सन्नियमों और मानकों का अनुसरण करते हुए खुला है ।

11.2 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की प्रकृति :-

11.2.1 स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम एक शैक्षणिक वर्षीय अवधि का होगा और यदि पाठ्यक्रम कार्य की कोई पुनरावृत्ति या पुनः परीक्षा अपेक्षित है तो इसे अध्ययन के कार्यक्रम में छात्र के प्रवेश की तारीख से अधिकाधिक दो वर्ष में किया जाएगा ।

11.2.3 प्रादेशिक केन्द्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम वह होगा जो अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

11.3 डिप्लोमा प्रदान करना :-

11.3.1 अष्ट बिन्दु मानदंड पर, प्रादेशिक केन्द्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ्यक्रम कार्य में न्यूनतम 6.0 संचयी ग्रेड प्वाइन्ट औसत (सीजीपीए) प्राप्त करें ।

11.3.2 प्रादेशिक केन्द्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए सभी छात्रों का परीक्षा परिणाम शैक्षणिक समन्वयक द्वारा प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष को संसूचित किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा ।

अध्यादेश – 12

शिक्षण और मूल्यांकन

12.1 प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र में अनुदेश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगा ।

12.2 प्रत्येक पाठ्यक्रम को प्रादेशिक केन्द्र और मान्यताप्राप्त केन्द्रों में क्रेडिट यूनिटों के निबंधनानुसार अपनी वरीयता के साथ अध्ययन बोर् के अनुमोदन की अपेक्षा होगी और केवल इस प्रकार अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी भी सेमेस्टर के दौरान प्रदान किए जा सकते हैं ।

12.3 अध्यादेश 12.2 के अधीन प्रत्येक अनुमोदित पाठ्यक्रम, जब भी किसी सेमेस्टर में प्रदान किया जाए, अनुदेशकों या शिक्षकों या अनुबद्ध या अभ्यागत संकाय की अपेक्षित संख्या की सहायता से समनुदेशित पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा संचालित की जाएगी और पाठ्यक्रम समन्वयक पाठ्यक्रम संचालन, परीक्षाएं करवाने, सम्बद्ध छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन तथा सेमेस्टर की समाप्ति पर ग्रेड प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

12.4 किसी भी सेमेस्टर के दौरान प्रादेशिक केन्द्र द्वारा प्रस्थापित किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की सूची को संबंधित शैक्षणिक समन्वयक द्वारा सेमेस्टर के प्रारम्भ से पूर्व अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

12.5 किसी भी सेमेस्टर के दौरान प्रादेशिक केन्द्र में प्रस्थापित किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक सम्बन्धित शैक्षणिक समन्वयक द्वारा समनुदेशित किए जाएंगे ।

12.6 किसी भी कार्यक्रम में प्रादेशिक केन्द्र में प्रत्येक सेमेस्टर में, कम से कम एक मध्य सेमेस्टर परीक्षा और एक अन्त सेमेस्टर परीक्षा होगी और यथा-शक्य, सभी परीक्षाएं घोषित परीक्षा अवधियों के दौरान संचालित की जाएंगी ।

12.7 प्रादेशिक केन्द्र में किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए ऐसे छात्रों को, जो किसी परीक्षा में वास्तविक कारणों से बैठने में असफल रहते हैं, शैक्षणिक समन्वयक के अनुमोदन के बाद मेकअप परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी ।

12.8 प्रत्येक छात्र को, जिसे किसी पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है, सम्बन्धित पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा लेटर ग्रेड प्रदान किया जाएगा और किसी छात्र को प्रदान किया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, प्रश्नोत्तरी, गृह समनुदेशन और प्रयोगशाला कार्य में उसके निष्पादन पर निर्भर करता है ।

12.9 प्रयोग किए जाने वाले लेटर ग्रेड और उनके संख्यात्मक तुल्यांक निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:-

लेटर ग्रेड	ग्रेड प्वाइन्ट
A+	9
A	8
B+	7
B	6
C+	5
C	4
D	3
F	0

प्रादेशिक केन्द्र में किसी कार्यक्रम में शोध अनुसंधान या निबंध शोध का "S" और "X" (सन्तोषजनक कार्य के लिए "S" और असन्तोषजनक कार्य के लिए "X") के निबंधनानुसार मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे का "S" और "X" ग्रेडों के संख्यात्मक तुल्यांकों का निर्धारण किया जाना आवश्यक नहीं है ।

12.10 पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा एक बार प्रदान किए गए अध्यादेश 12.9 में निर्दिष्ट लेटर ग्रेड को तब तक बदला नहीं जा सकता, जब तक ग्रेड के परिवर्तन अनुरोध को या तो पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा या पाठ्यक्रम के अनुदेशक या शिक्षक द्वारा प्रादेशिक केन्द्र संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए और ग्रेड परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध को अगले सेमेस्टर के आरम्भ के छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ग्रेड परिवर्तन की सिफारिश करने के क्रम को सही न्यायोचित ठहराया जाएगा ।

12.11 किसी सेमेस्टर में प्रादेशिक केन्द्र में किसी छात्र के शैक्षणिक निष्पादन को सेमेस्टर ग्रेड प्वाइन्ट औसत (सीजीपीए) के निबंधनानुसार मापा जाएगा जो प्राप्त किए गए ग्रेड प्वाइन्टों की महत्व औसत है, महत्व पाठ्यक्रम महत्व या श्रेय हैं । संचयी ग्रेड प्वाइन्ट औसत (सीजीपीए) की संगणना सभी पाठ्यक्रमों के ग्रेड प्वाइन्टों पर विचार करते हुए सदृश रीति में की जाएगी जो प्रादेशिक केन्द्र में छात्र ने कार्यक्रम में प्राप्त किया है ।

12.12 जब कभी प्रादेशिक केन्द्र में किसी छात्र को पाठ्यक्रम को दोहराने या प्रतिस्थापित करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो पाठ्यक्रम में आरम्भिक ग्रेड को ग्रेड प्वाइन्ट औसत की संगणना में छोड़ दिया जाएगा ।

12.13 अध्यादेश 12.9 में निर्दिष्ट "S" और "X" ग्रेडों पर ग्रेड प्वाइन्ट औसत की संगणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा ।

12.14 प्रादेशिक केन्द्र में छात्र को "शैक्षणिक रूप से कमजोर" कहा जाएगा यदि सेमेस्टर प्वाइन्ट औसत के निबंधानुसार किसी नियमित सेमेस्टर के अन्त में उसका निष्पादन <5.0 है और शैक्षणिक समिति ऐसे मामलों का पुनर्विलोकन करेगी तथा जारी रहने के लिए शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्र को कोई शर्त लिखित में देगी या छात्र के कार्यक्रम को समाप्त भी कर देगी यदि उनके मूल्यांक में उसका निष्पादन अत्यधिक असन्तोषजनक है ।

12.15 प्रादेशिक केन्द्र में कोई छात्र को, जिसका कार्यक्रम असन्तोषजनक शैक्षणिक निष्पादन के कारण शैक्षणिक समिति द्वारा समाप्त किया गया है, ऐसे पर्यावसान के विरूद्ध अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष को अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील करते समय छात्र के खराब शैक्षणिक निष्पादन के कारण बताने की प्रत्याशा की जाती है।

indiaCode

12.16 अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष उपलब्ध सभी इनपुटों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक ऐसी अपील पर अन्तिम विनिश्चय करेगा और पर्यावसान के पुनर्विलोकन के लिए कोई अतिरिक्त याचिका या अनुरोध अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कोई सारवान अतिरिक्त जानकारी उसके यान में नहीं लायी जाती है ।

12.17 अध्यादेश 12.11 में निर्दिष्ट संचयी ग्रेड प्वाइन्ट औसत को निम्नलिखित सूत्र से अंकों की प्रतिशतता में संपरिवर्तित किया जा सकेगा, अर्थात् :-

अंकों की प्रतिशतता = (सीजीपीए x 10) + 15

अध्यादेश – 13

स्नातकीकरण अपेक्षाएं और डिग्री प्रदान करना

13.1 प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम का छात्र, जिसकी संचयी ग्रेड प्वाइन्ट औसत <6.5 है, स्नातकीकरण के लिए पात्र नहीं है और स्नातकीकरण डिप्लोमा कार्यक्रम का कोई, जिसकी संचयी ग्रेड प्वाइन्ट औसत <6.0 है, डिप्लोमा प्रमाणपत्र के लिए पात्र नहीं होगा।

13.2 प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र में किसी छात्र के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने स्नातकीकरण की अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, यदि छात्र ने –

(क) ऐसे स्नातकीकरण के विहित सभी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किए हैं ;

(ख) अपेक्षित संचयी ग्रेड प्वाइन्ट औसत प्राप्त की है ;

(ग) न्यूनतम शैक्षणिक और आवास सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा किया है ;

(घ) प्रादेशिक केन्द्र या सम्बद्ध मान्यताप्राप्त केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं, यदि कोई हों, को पूरा किया है ;

(ङ) इन अध्यादेशों के अधीन अध्ययन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है और इसके अतिरिक्त, छात्र ने प्रादेशिक केन्द्र या सम्बद्ध मान्यताप्राप्त केन्द्र को सभी शोध्यों का संदाय किया है और ऐसे छात्र के विरूद्ध अनुशासनहीनता का कोई मामला लम्बित नहीं है ।

13.3 ऐसा छात्र, जिसने अध्यादेश 13.2 के अधीन सभी स्नातकीकरण अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, की आने वाले दीक्षांत समारोह में समुचित डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने के लिए बोर्ड को अध्ययन बोर्ड द्वारा सिफारिश की जाएगी और डिग्री या डिप्लोमा केवल तभी प्रदान किया जा सकेगा, जब बोर्ड ने डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया हो किन्तु कार्यकारी निदेशक आवश्यकतानुसार उस मामले में अनन्तिम डिग्री या डिप्लोमा प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

13.4 अत्यंत आपवादिक परिस्थितियों में, जहां अध्यादेश 13.2 के अधीन बाद वाले प्रक्रम पर स्नातकीकरण अपेक्षाओं के घोर अतिक्रमण का पता चलता है, वहां अध्ययन बोर्ड अध्यादेश 13.3 के अधीन पहले ही प्रदान की गई डिग्री या डिप्लोमा को वापस लेने के लिए बोर्ड को सिफारिश कर सकेगा ।

13.5 बोर्ड उपस्थित दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा मान्य और पर्याप्त कारण के लिए प्रादेशिक केन्द्र और किसी व्यक्ति को प्रदान किए डिग्री या शैक्षणिक सम्मान या अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को वापस ले सकेगा : परंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे यह अपेक्षा करते हुए ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, कारण बताओ की सूचना लिखित में नहीं दे दी गई हो और उसके आक्षेप, यदि कोई हों और कोई साक्ष्य, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत कर सके, अध्ययन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने तक और बोर्ड को सिफारिश किए जाने तक कि ऐसा संकल्प क्यों नहीं पारित किया जाए ।

अध्यादेश – 14

छात्रों द्वारा संदेय फीस

14.1 अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रादेशिक केन्द्र में छात्रों द्वारा संदेय फीस और अन्य प्रभारों के ब्यौरे अध्ययन बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् समय-समय पर प्रादेशिक केन्द्र द्वारा जारी प्रवेश विवरणिका या प्रोस्पेक्टस में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

14.2 अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए प्रादेशिक केन्द्र में प्रवेश दिए गए छात्र फीस का, जिसके अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा-विहित और प्रादेशिक केन्द्र या मान्यताप्राप्त केन्द्र द्वारा अधिसूचित हॉस्टल फीस और मेस प्रभार भी हैं, का संदाय करेंगे ।

14.3 फीस के अन्तर्गत छात्र द्वारा शैक्षणिक प्रशासन फीस, शिक्षण फीस, अवधान निक्षेप, पूर्व छात्र फीस, जुर्माना तथा छात्र द्वारा कोई अन्य संदाय, जिसके कार्यकारी निदेशक के अनुमोदन से समय-समय पर प्रवृत्त अधिसूचना के अनुसार संदत्त किए जाने की अपेक्षा की जाए, भी है ।

14.4 कार्यकारी निदेशक को इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रादेशिक केन्द्र में छात्र को पूर्ण या आंशिक फीस माफ करने की शक्ति होगी । परंतु ऐसी फीस माफी, ऐसे विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में कुल छात्र संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

14.5 ऐसी फीस माफी की मंजूरी के लिए छात्रों के आवेदनों पर सिफारिश करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) छात्र द्वारा शैक्षणिक अभिलेख में उपलब्धियां ;

(ii) छात्र के माता-पिता या संरक्षक की वित्तीय स्थिति ;

(iii) कोई ऐसी अन्य बातें, जो छात्र के अभिलेख में रखी जाएं ।

14.6 मान्यताप्राप्त केन्द्र के छात्र अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रशासन फीस का ही संदाय करेंगे ।

14.7 प्रादेशिक केन्द्र की फीस संरचना का प्रत्येक तीन वर्ष में अध्ययन बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा और तद्नुसार उसे प्रादेशिक केन्द्र द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

IndiaCode

अध्यादेश – 15

अध्येतावृत्ति, छात्रवृति और पुरस्कार

15.1 प्रादेशिक केन्द्र के डॉक्टरल छात्र प्रसामान्यतः वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या जैव प्रौद्योगिकी विभाग या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य ऐसे स्रोत, जिसके लिए उन्होने अर्हता प्राप्त की है और पात्र घोषित किए गए हैं, से अध्येतावृत्ति प्राप्त करेंगे और प्रादेशिक केन्द्र उनके मामलों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने वाले अभिकरणों को प्रायोजित करेंगे या अग्रेषित करेंगे जिससे कि वे अध्येतावृत्ति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें ।

15.2 प्रादेशिक केन्द्र विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अपने छात्रों को छात्रवृत्ति या अध्येयतावृत्ति या सहायता भी प्रदान कर सकेगा और ऐसे पुरस्कारों के लिए प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी : परंतु ये पुरस्कार कदाचार, जानबूझकर तात्विक तथ्यों के छिपाये जाने या बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित रीति में मिथ्या जानकारी के दिए जाने के मामले में भागतः या पूर्णतः वापस लिए जाने के दायी होंगे ।

15.3 अध्ययन कार्यक्रम पूरा किए बिना स्वप्रेरणा से प्रादेशिक केन्द्र छोड़ने वाले प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों से उस वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार राशि की रकम के प्रतिदाय की अपेक्षा की जा सकेगी ।

15.4 प्रादेशिक केन्द्र का कोई छात्र एक साथ दो छात्रवृत्तियां या पुरस्कार प्राप्त नहीं करेगा ।

15.5 प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों को छात्रवृत्तियों का पाठ्यक्रम की विनिर्दिष्ट अवधि या अध्येतावृति प्रदान करने वाले अभिकरण द्वारा नियत अवधि से परे संदाय नहीं किया जाएगा ।

15.6 प्रादेशिक केन्द्र में छात्रों शैक्षणिक उत्कर्ष, प्रश्नात्मक नेतृत्व और समग्र विकास तथा प्रगति का संवर्धन करने और मान्य ठहराने के लिए अध्ययन बोर्ड प्रादेशिक केन्द्र द्वारा या विन्यास या दानदाताओं के अनुदान के माध्यम से संस्थित किए जाने वाले पुरस्कारों तथा पदक प्रदान करेगा और ऐसे पुरस्कारों के लिए संस्थान के सन्नियम और शर्तें बोर्ड के अनुमोदन की अपेक्षा करेंगे ।

15.7 प्रादेशिक केन्द्र के छात्र, यथा-स्थिति, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर संगठन, प्राइवेट औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठन या प्रादेशिक केन्द्र के संकाय सदस्यों द्वारा निदेशित अनुसंधान स्कीम से भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे ।

अध्यादेश - 16

छुट्टी और अनुपस्थिति

16.1 सेमेस्टर के दौरान प्रादेशिक केन्द्र के किसी छात्र की अनुपस्थिति को हतोत्साहित किया जाएगा किन्तु वास्तविक कारणों से ऐसे छात्र को इन अध्यादेशों में ऐसी अनुपस्थिति के लिए किए गए उपबंध के अनुसार अनुपस्थिति छुट्टी मंजूर की जा सकेगी और सभी ऐसी छुट्टियां प्रादेशिक केन्द्र द्वारा छात्र को समनुदेशित सम्बद्ध शैक्षणिक पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक के पूर्व अनुमोदन से ली जाएगी ।

16.2 स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने वाले प्रादेशिक केन्द्र के छात्र वित्तीय हानि के बिना निम्नलिखित अनुपस्थिति छुट्टी के लिए हकदार होंगे, अर्थात् :-

(क) पांच दिन की दीर्घकालिक छुट्टी प्रति सेमेस्टर ;

(ख) पांच दिन की आकस्मिक छुट्टी प्रति सेमेस्टर ; और

(ग) पांच दिन की चिकित्सा छुट्टी प्रति सेमेस्टर ।

16.3 अध्यादेश 2.3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट चिकित्सा छुट्टी के मामले में, आवेदन, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा उपयुक्त रूप से समर्पित होगा ।

16.4 दो से अन्यून जीवित बालकों वाले किसी प्रादेशिक केन्द्र के किसी छात्रा कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश के लिए हकदार होगी और ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन किसी मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक है ।

16.5 प्रादेशिक केन्द्र की छात्रा अपने सम्पूर्ण कार्यक्रम के दौरान गर्भपात या गर्भस्राव चाहे उत्प्रेरित या अन्यथा हो, के मामले में पैंतालीस दिन की छुट्टी के लिए हकदार होगी और किसी मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र से ऐसी छुट्टी का आवेदन समर्थित किया जाना आवश्यक है और उसके जीवित बालकों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए छुट्टी ग्राह्य है ।

16.6 प्रादेशिक केन्द्र के ऐसे छात्र को, जिसके दो जीवित बालकों से कम बालक हैं, उसके बालक के प्रसव की तारीख से पंद्रह दिन पहले या छह मास तक की अवधि के लिए पितृत्व छुट्टी प्रदान की जा सकेगी ।

16.7 प्रादेशिक केन्द्र के छात्र की अनुपस्थिति अध्यादेश 16.2 से 16.6 में उपबंधित से परे छुट्टी से आगे भी अत्यावश्यकता के अधीन शैक्षणिक समिति द्वारा प्रदान की जा सकेगी किन्तु ऐसी अनुपस्थिति छुट्टी में कोई वित्तीय सहायता की हानि, यदि कोई हो, अन्तर्वलित होगी ।

16.8 अप्राधिकृत छुट्टी अर्थात् प्रादेशिक केन्द्र की सम्यक् अनुमति के बिना छुट्टी का परिणाम सम्बद्ध अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के प्रवेश के पर्यावसान हो सकेगा ।

16.9 प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों से बिना किसी ब्रेक के अपने-अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को पूरा करने की प्रत्याशा की जाती है, किन्तु वास्तविक कारणों से, ऐसे छात्रों को कार्यक्रम से अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की जा सकेगी और ऐसी अनुपस्थिति साधारणतया ब्रेक सहित या ब्रेक रहित दो सेमेस्टरों से अधिक नहीं होगी और शैक्षणिक समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

अध्यादेश – 17

आवास-हॉल

17.1 प्रादेशिक केन्द्र का प्रत्येक छात्र उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए प्रादेशिक केन्द्र के आवास हॉलों में से एक आवास हॉल में कक्ष या साझा आवास आबंटित किए जाने का पात्र होगा ।

IndiaCode

17.2 अध्यादेश 17.1 में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक आवास हॉल के लिए कार्यकारी निदेशक भारसाधक वार्डन की नियुक्ति करेगा जो प्रादेशिक केन्द्र का शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द होगा और ऐसे हॉल का भारसाधक वार्डन कार्यकारी निदेशक के समाधानप्रद रूप में दक्षतापूर्वक हॉल के कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा ।

17.3 अध्यादेश 17.1 में निर्दिष्ट ऐसे हॉल में निवास कर रहा प्रत्येक छात्र हॉल भोजनालय में शामिल हो सकेगा, किन्तु अध्यादेश 17.2 में निर्दिष्ट भारससाधक वार्डन विनिर्दिष्ट अवधि के लिए चिकित्सीय आधार पर हॉल भोजनालय से ऐसे किसी व्यष्टिक छात्र को छूट दे सकेगा ।

17.4 अध्यादेश 17.1 में निर्दिष्ट हॉल में निवास कर रहा प्रत्येक छात्र फर्नीचर और उसको प्रदाय की गई अन्य मदों की सुरक्षित देखभाल के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और उसके द्वारा कक्ष पर अधिभोग के दौरान डिजाइन या उपेक्षा द्वारा पारित किसी नुकसान या हानि के लिए भारित किया जाएगा ।

17.5 अध्यादेश 17.1 में हॉल में निवास कर रहा प्रत्येक छात्र निर्दिष्ट से अध्यादेश 17.2 में निर्दिष्ट भारसाधक वार्डन द्वारा घोषित देय तारीख तक भोजनालय के बिल का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसे बिल का समय पर संदाय करने में असफलता का परिणाम जुर्माना हो सकेगा या ऐसी अन्य शास्ति हो सकेगी जो ऐसा भारसाधक वार्डन ठीक समझे तथा प्रादेशिक केन्द्र में ऐसे छात्र का प्रवेश भी देय तारीख से तीस दिन के भीतर भोजनालय बिल का संदाय न करने की दशा में रद्द किया जा सकेगा ।

17.6 अध्यादेश 17.5 में निर्दिष्ट भोजनालय बिल के संदाय के अतिरिक्त अध्यादेश 17.1 में निर्दिष्ट प्रत्येक छात्र अध्यादेश 17.2 में निर्दिष्ट भारसाधक वार्डन द्वारा समय-समय पर विहित दर पर प्रत्येक मास स्थापन प्रभार का संदाय भी करेगा और ऐसे प्रभार भोजनालय बिल के अतिरिक्त होंगे ।

17.7 अध्यादेश 17.1 में निर्दिष्ट हॉल में निवास कर रहे छात्र अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने हितों के अनुसार काम करने के लिए तथा उनके लिए अत्यंत सार्थक जीवन शैली का अनुसरण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करेंगे किन्तु हॉल में राजनैतिक या धार्मिक अभियान में संलिप्त नहीं होंगे ।

17.8 कोई छात्र अध्यादेश 17.1 में निर्दिष्ट आवास हॉलों में और उनसे संलग्न परिसरों में लिकर, मादक द्रव्य या किसी अन्य मद्य का प्रयोग नहीं करेगा ।

17.9 अध्यादेश 17.1 में निर्दिष्ट किसी हॉल में निवास करने वाला प्रत्येक छात्र प्रादेशिक केन्द्र के सम्बद्ध आवास हॉल में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अध्यादेश 17.2 में निर्दिष्ट भारसाधक वार्डन द्वारा अवधारित सभी सन्नियमों और मानकों का अनुपालन करेगा तथा ऐसा भारसाधक वार्डन शैक्षणिक समिति द्वारा अनुमोदित अनुशासनिक सन्नियमों के अनुसार व्यतिक्रमियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

अध्यादेश – 18

छात्रों में अनुशासन

18.1 अनुशासन बनाए रखने और प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्रवाई करने सम्बन्धी सभी शक्तियां कार्यकारी निदेशक में निहित होंगी और कार्यकारी निदेशक अपनी सभी या किन्हीं अनुशासनिक शक्तियों को जैसा वह उचित समझे, प्रादेशिक केन्द्र के ऐसे अधिकारियों को, जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

18.2 प्रादेशिक केन्द्र में अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह स्वयं को प्रादेशिक केन्द्र तथा प्रादेशिक केन्द्र के कार्यकारी प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के प्रति आत्मसमर्पित करता है और ऐसे प्रत्येक छात्र को प्रादेशिक केन्द्र में अध्ययन कार्यक्रम में अपने प्रवेश के समय छात्रों की आचार संहिता और सत्यनिष्ठा का अनुसरण और पालन करने का वचनबंध हस्ताक्षर करना होगा।

18.3 प्रादेशिक केन्द्र में अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र प्रादेशिक केन्द्र के कैंपस के भीतर और बाहर दोनों में छात्र ऐसी रीति में आचरण करेगा जो 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' के छात्र के लिए उपयुक्त हो और ऐसे किसी छात्र से किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त होने की प्रत्याशा नहीं की जाएगी जिससे प्रादेशिक केन्द्र की गरिमा को ठेस पहुंचे ।

18.4 प्रादेशिक केन्द्र के अध्यापकों, प्रशासकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति उचित सम्मान और शिष्टाचार और सह छात्रों के प्रति सुमैत्रीपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करेगा और उससे कैम्पस के आगंतुकों तथा निवासियों के प्रति उचित ध्यान और शिष्टाचार देने की प्रत्याशा की भी जाएगी ।

18.5 शिष्टाचार और शालीनता की कमी, अशोभनीय आचरण (केन्द्र के बाहर और भीतर दोनों) ; प्रादेशिक केन्द्र की सम्पत्ति या सह छात्र के सामान को जानबूझ नुकसान पहुंचाना या उसे हटाना ; सह छात्रों को उनके अध्ययन में विघ्न डालना ; परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का अपनाया जाना ; प्रादेशिक केन्द्र के सन्नियमों और मानकों का भंग ; शोरगुल और अशोभनीय व्यवहार तथा वैसी ही अन्य अवांछित गतिविधियां, अध्यादेश 18.2 में निर्दिष्ट आचार संहिता का अतिक्रमण गठित करेगी ।

18.6 प्रादेशिक केन्द्र में किसी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए किसी छात्र द्वारा अध्यादेश 18.5 में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अतिक्रमण पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी और इसमें दण्ड, जैसे धिग्दंड, अनुशासनिक परिवीक्षा, जुर्माना, परीक्षा से बहिष्कृत करना, नियुक्ति सेवाओं के उपभोग से विवर्जित करना, ग्रेड को रोकना, डिग्री को रोकना, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण और प्रादेशिक केन्द्र से निष्कासित करना, गुणागुन के आधार पर दिया जा सकेगा ।

18.7 सम्बद्ध आवास हॉल के अध्यादेश 17.2 में निर्दिष्ट भारसाधक वार्डन को हॉल के किसी ऐसे निवासी, जो आवास हॉल के लिए कार्यकारी निदेशक द्वारा अवधारित सन्नियमों और मानकों या अध्यादेश 18.5 में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का अतिक्रमण करता है, के विरूद्ध दंडित करने या उस पर जुर्माना अधिरोपित करने या कोई ऐसा अन्य उपयुक्त उपाय करने की शक्ति होगी ।

18.8 प्रादेशिक केन्द्र में अध्ययन पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम समन्वयक को ऐसी परीक्षा, जिसमें छात्र को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया है, से ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए गए किसी छात्र को बहिष्कृत करने की शक्ति होगी और ऐसे पाठ्यक्रम के लिए अनुदेशक या शिक्षक को ऐसे छात्र, जो ऐसे पाठ्यक्रम की कक्षा में दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है, के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी ।

18.9 प्रादेशिक केन्द्र, जिसके अन्तर्गत उसके आवास हॉल तथा ऐसे केन्द्र से संलग्न अन्य परिसर भी हैं, में किसी भी रूप में रैगिंग पूर्णतया प्रतिषिद्ध है और छात्र के ऐसे रैगिंग में कोई संलिप्तता गंभीर कदाचार के रूप में समझी जाएगी जिसका परिणाम ऐसे छात्र का प्रादेशिक केन्द्र से निष्कासन होगा ।

18.10 कार्यकारी निदेशक छात्र अनुशासन समिति का गठन करेगा और ऐसी समिति में रिपोर्ट किए गए अभिकथित उपापराध का अन्वेषण करने की और कार्रवाई के उपयुक्त अनुक्रम की सिफारिश करने की अपनी अधिकारिता को परिभाषित करेगा और प्रादेशिक केन्द्र का कोई छात्र या अध्यापक और कार्यकारी निदेशक या कोई अन्य कृत्यकारी ऐसी समिति को प्रादेशिक केन्द्र में किसी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए किसी छात्र या छात्रों के किसी समूह द्वारा अध्यादेश 18.5 में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अतिक्रमण की रिपोर्ट कर सकेगा ।

18.11 अनुशासन बनाए रखने तथा ऐसी कार्रवाई करने, जो प्रादेशिक केन्द्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसे समुचित प्रतीत हो, से सम्बन्धित उसकी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यकारी निदेशक को आदेश द्वारा यह निदेश देने की शक्ति भी होगी कि प्रादेशिक केन्द्र में किसी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए किसी छात्र या छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकेगा या स्थायी रूप से निकाला जा सकेगा या कथित अवधि के लिए प्रादेशिक केन्द्र के, यथा-स्थिति, अध्ययन कार्यक्रम या कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा या आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले रकम के लिए जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा या एक या अधिक वर्षों के लिए प्रादेशिक केन्द्र द्वारा संचालित परीक्षा से बहिष्कृत किया जा सकेगा या ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं, जिनमें वह या वे बैठे थे, सम्बद्ध छात्र या छात्रों का परिणाम ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट कारणों के लिए रोका जा सकेगा या रद्द किया जा सकेगा ।

18.12 लघु शास्ति से अधिरोपित कोई व्यतिक्रमी छात्र, जो अधिनिर्णीत दंड से व्यथित महसूस करता है, अपनी शिकायत के लिए कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए कार्यकारी निदेशक को ऐसे दंड के विरूद्ध अपील कर सकेगा और कार्यकारी निदेशक का विनिश्चय ऐसे छात्र पर अंतिम और आबद्धकर होगा ।

18.13 दीर्घ शास्ति से अधिरोपित कोई व्यतिक्रमी छात्र, जो अधिनिर्णीत दंड से व्यथित महसूस करता है, अपनी शिकायत के लिए कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए अध्ययन बोर्ड को ऐसे दंड के विरूद्ध अपील कर सकेगा और अध्ययन बोर्ड का विनिश्चय ऐसे छात्र पर अंतिम और आबद्धकर होगा ।

18.14 ऐसे किसी छात्र की, जो अध्ययन बोर्ड की राय में किसी बड़े कदाचार का दोषी पाया जाता है, किसी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के दिए जाने के लिए अध्ययन बोर्ड द्वारा सिफारिश नहीं की जा सकेगी, भले ही सभी शैक्षणिक अपेक्षाएं ऐसे छात्र द्वारा समाधानप्रद रूप में पूरी कर ली गई हों ।

18.15 इन अध्यादेशों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शैक्षणिक समिति को छात्रों के लिए आचार संहिता तैयार करने की शक्ति होगी जिसका वही प्रभाव होगा और उसके अतिक्रमण के लिए वही परिणाम होंगे, जैसे कि इन अध्यादेशों के अधीन छात्रों के लिए अन्य आचार संहिता को होते हैं ।

18.16 शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन अध्यादेशों में "अध्ययन कार्यक्रम", "अध्ययन पाठ्यक्रम" और "शैक्षणिक कार्यक्रम" पदों का उनके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के सहित वही अर्थ होगा ।

अध्यादेश – 19

मान्यताप्राप्त केन्द्रों की मान्यता और अनुमोदन

19.1 अध्ययन बोर्ड भारत के भीतर उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेगा और उनके पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों, जो उसकी वांछनीयता, जीवन क्षमता और अनुरूपता के दृष्टिकोण से प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्यों और कृत्यों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, को मान्यता देने के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगा और वही प्रक्रिया भारत के बाहर संस्थाओं और अनुसंधान केन्द्रों के लिए अभिभावी होगी ।

19.2 बोर्ड द्वारा अध्यादेश 19.1 के अधीन इस प्रकार सिफारिश किए गए और मान्यताप्राप्त संस्था को जैव प्रौद्योगिकी प्रादेशिक केन्द्र के 'मान्यताप्राप्त केन्द्र' के रूप में नाम दिया जाएगा ।

19.3 बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् अध्यादेश 19.1 में निर्दिष्ट संस्थाएं, जो उक्त अध्यादेश के अधीन मान्यताप्राप्त होने की वांछा करती है, प्रादेशिक केन्द्र के साथ लिखित ज्ञापन करेगी और ज्ञापन में सहयोग के अन्तर्गत आने वाली उद्देश्यों, आवश्यकताओं और विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप विनिर्दिष्ट होंगे ।

19.4 मान्यताप्राप्त केन्द्र अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करेगा और प्रादेशिक केन्द्र ऐसे प्रादेशिक केन्द्र के उन छात्रों को, जिन्होंने शैक्षणिक अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, को प्रमाणपत्र डिप्लोमा या डिग्रियां प्रदान करेगा ।

19.5 अध्यादेश 19.1 में निर्दिष्ट किसी संस्था को प्रादेशिक केन्द्र द्वारा इसके शैक्षणिक कार्यक्रम की मान्यता के विशेषाधिकार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि यह -

(क) सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सक्षम स्थानीय प्राधिकारी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्री का सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लोक न्यास द्वारा संचालित नहीं किया जाता है ;

(ख) इसका स्कीम के अनुसार गठित शासी निकाय द्वारा प्रबंध किया जाता है, जैसा उसके संगम ज्ञापन द्वारा विनिर्दिष्ट है ;

(ग) यह शैक्षणिक कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रादेशिक केन्द्र के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश और विनियमों के उपबंधों का पालन करने और शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए प्रादेशिक केन्द्रों के स्थायी आदेशों, निदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करने का भी भार अपने ऊपर लेता है ;

(घ) इसमें स्थान, आवास, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, उपस्कर, पुस्तकालय, वाचनालय, फर्नीचर तथा अपेक्षित शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए असंरचानात्मक सुविधाओं के निबंधनानुसार उपयुक्त और पर्याप्त भौतिक सुविधाएं हैं ;

(ङ) इसमें प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपेक्षित संख्या में समुचित संकाय अध्यापक और अन्य कर्मचारी हैं ;

(च) यह प्रादेशिक केन्द्र द्वारा यथा-अनुमोदित अध्ययन के विषयों और पाठ्यक्रमों के शिक्षण का उपबंध करता है ;

(छ) यह प्रादेशिक केन्द्र द्वारा अनुज्ञात संख्या से अनधिक छात्रों को प्रवेश न देने का भी भार अपने ऊपर लेता है ;

(ज) इसमें, इसकी वित्तीय स्थायित्व सतत रख-रखाव और कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं ; और

(झ) इसमें आवास के लिए, जहां कहीं आवश्यकता हो, छात्रों का अनुशासन और पर्यवेक्षण तथा उनके स्वास्थ्य, साधारण विकास और कल्याण का संवर्धन करने के लिए व्यवस्थाएं हैं ।

19.6 अध्ययन बोर्ड अध्यादेश 19.1 में निर्दिष्ट किसी संस्था द्वारा मान्यता के लिए आवेदन का स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन या उक्त अध्यादेश के अधीन सिफारिशों के प्रयोजन के लिए ऐसी संस्था के निरीक्षण के लिए नियुक्त पैनल की रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा।

19.7 बोर्ड इस अध्यादेश के अधीन प्रस्ताव को पूर्णतः या भागतः विषयों, अध्ययन पाठ्यक्रमों, प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या का उल्लेख करते हुए स्वीकार न करने के लिए तथा ऐसी अन्य शर्तें, यदि कोई हों, को भी अधिरोपित करने के लिए, जो यह ठीक समझे, स्वतंत्र होगा ।

19.8 मान्यताप्राप्त केन्द्र शिक्षण कर्मचारिवृन्द और ऐसे सभी अन्य परिवर्तन, जो प्रवृत्त होने वाले परिवर्तन के एक मास के भीतर प्रादेशिक केन्द्र की मान्यता की शर्तों के पूरे किए जाने को प्रभावित करे, में सभी परिवर्तनों की रिपोर्ट करेगा ।

19.9 मान्यताप्राप्त केन्द्र यह गारंटीकृत करते हुए एक करार निष्पादित करेगा कि वह शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रादेशिक केन्द्र के अधिनियमों, परिनियमों, इन अध्यादेशों, विनियमों, आदेशों, निदेशों और अनुदेशों के उपबंधों का पालन करेगा ।

19.10 मान्यताप्राप्त केन्द्र बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी विषय या अध्ययन पाठ्यक्रम में, जिसका उसने पढ़ाने और वास्तव में, जो वह पढ़ाता है, का प्रस्ताव किया था, में अनुदेशों को निलंबित नहीं करेगा ।

19.11 मान्यताप्राप्त केन्द्र अध्यापन फीस, अभ्यावेषण फीस, परीक्षा फीस और प्रादेशिक केन्द्र में छात्रों पर उद्गृहीत अन्य प्रभार उन दरों पर होंगे, जो अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाएं : परंतु जहां मान्यताप्राप्त केन्द्र पर नियंत्रण रखने वाले कानून प्राधिकारी ने अध्यापन फीस और अन्य प्रभारों का अवधारण करने के लिए फार्मूला विनिर्दिष्ट किया है, उन्हें तद्नुसार उद्गृहीत किया जाएगा ।

19.12 मान्यताप्राप्त केन्द्र अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा--विनिश्चित वार्षिक मान्यता फीस प्रादेशिक केन्द्र को संदाय करेगा ।

19.13 यदि मान्यताप्राप्त केन्द्र कार्य करना बन्द कर देता है या किसी भिन्न सोसाइटी, न्यास, व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह को प्रादेशिक केन्द्र के पूर्व अनुमोदन के बिना अंतरित कर दिया जाता है तो सम्बद्ध संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो जाएगी ।

19.14 मान्यताप्राप्त केन्द्र ऐसी रिपोर्टें विवरणियां और अन्य सूचना प्रादेशिक केन्द्र को भेजेगा जो मान्यता की शर्तों को सतत रूप से पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं ।

19.15 प्रादेशिक केन्द्र प्रत्येक मान्यताप्राप्त केन्द्र का प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार या ऐसे अंतरालों पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं, इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत सक्षम व्यक्तियों की समिति द्वारा निरीक्षण करवाएगा ।

19.16 बोर्ड किसी भी समय अपने कार्यक्रम के ऐसे पहलुओं पर मान्यताप्राप्त केन्द्र के विशेष निरीक्षण की व्यवस्था कर सकेगा जो वह अपने शैक्षणिक कार्यकरण के लिए सुसंगत समझे और बोर्ड इस सम्बन्ध में उसको की गई रिपोर्ट के आधार पर तथा मान्यताप्राप्त केन्द्र के शासी निकाय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने तथा ऐसी और जांच करने, जो वह ठीक समझे, के पश्चात् संस्था को उससे यह अपेक्षआ करते हुए ऐसे निदेश दे सकेगा कि वह संस्था के कार्यकरण में पायी गई किसी त्रुटि या कमी का सुधार करे और ऐसा निदेश मान्यताप्राप्त केन्द्र पर आबद्धकर होगा ।

19.17 मान्यताप्राप्त केन्द्र को विशेषाधिकार भागतः या पूर्णतः वापस लिए जा सकेंगे या उपांतरित किए जा सकेंगे, यदि मान्यताप्राप्त केन्द्र शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में अधिनियम, परिनियम, इन अध्यादेशों, बोर्ड के विनियमों या किसी आदेश निदेश या अनुदेश के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है या मान्यता की शर्तों में से किसी शर्त का पालन करने में असफल रहा है या स्वयं ने ऐसी रीति में आचरण किया है जो प्रादेशिक केन्द्र के हितों और उसके नियमों तथा मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ।

19.18 इन अध्यादेशों में उपवर्णित मान्यता और उससे सम्बन्धित अन्य उपबंधों की शर्तों के अधीन रहते हुए, बोर्ड कोई अन्य शर्त या शर्तों तथा प्रक्रिया, जो किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र के उचित कार्यकरण के लिए अपनाये जाने के लिए आवश्यक समझे जाएं, अधिकथित कर सकेगा जो ऐसे मान्यताप्राप्त केन्द्र पर आबद्धकर होगी ।

IndiaCode

19.19 किसी शंका या विवाद की दशा में, मान्यताप्राप्त केन्द्र विषय को, जिसके अन्तर्गत इन अध्यादेशों का निर्वचन भी है, बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकेगा तथा विनिश्चय या, यथा-स्थिति, इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्वचन मान्यताप्राप्त केन्द्र पर आबद्धकर होगा।

प्रोफेसर वाई.के.गुप्ता अध्यक्ष, कार्यक्रम सलाहकार समिति"

चन्द्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./234/17]

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2017

No.RCB/ORD/2017/01.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (4) of section 17 along with section 42 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016), the Central Government on behalf of the Programme Advisory Committee, Regional Centre for Biotechnology hereby notifies the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology.

IndiaCode

PROGRAMME ADVISORY COMMITTEE

(REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY)

ORDINANCES

New Delhi, the 15th September, 2017

No. RCB/ORD/2017/01.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section 4 of section 17 read with section 42 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016), the Programme Advisory Committee of the Regional Centre for Biotechnology hereby makes the following Ordinances, namely:-

ORDINANCE 1

Short title and commencement

1.1 These Ordinances may be called the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017.

1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

ORDINANCE 2

Definitions

2.1 In these Ordinances, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016);

(ii) "Academic Calendar" means academic calendar illustrating the academic activities such as, timetable for admission, registration, vacations, examinations, and announcement of results;

(iii) "Academic Committee" means Academic Committee of the Regional Centre or its recognised centre responsible for academic and related activities to carry out activities as guided by the Board of Studies;

(iv) "Board" means the Board of Governors constituted under section 14 of the Act;

(v) "Board of Studies" means the Board of Studies of the Regional Centre for Biotechnology referred to in section 21 of the Act;

(vi) "ordinance" means an ordinance of these Ordinances;

(vii) "Programme Advisory Committee" means the Programme Advisory Committee constituted under section 17 of the Act;

(viii) "Recognised Centre" means a centre of higher learning recognised as such under the Statutes;

(ix) "Regional Centre" means the Regional Centre for Biotechnology established under section 3 of the Act;

(x) "Student Advisory Committee" means the committee of faculty members constituted to act as mentor, guide, and supervise a given student of the Regional Centre or its Recognised Centre;

(xi) "Regulations" means Regulations made by authorities of the Regional Centre under section 43 of the Act; and

(xii) "Statutes" means the Statutes framed by the Board under section 41 of the Act.

2.2 Words or expressions used in these Ordinances and not defined, but defined or used in the Act, shall have the respective meaning assigned to them in the Act.

ORDINANCE 3

Academic Committee

3.1 The Regional Centre and its Recognised Centre shall have separate independent Academic Committees for the conduct and management of their academic programmes in accordance with the guidelines issued by the Board of Studies and the recommendations of the Academic Committee shall be placed in the Board of Studies for ratification.

3.2 The composition of the Academic Committee of the Regional Centre shall be as under, namely:-

(i) Dean (Academics) of the Regional Centre……..…… Chairperson;

(ii) Two senior faculty members from the Regional Centre to be nominated by the Executive Director ……..... Members;

(iii) One external academician to be nominated by the Chairperson of Board of Studies….. ……..Member;

(iv) Registrar of the Regional Centre ……..…. Member; and

(v) Academic Coordinator from the Regional Centre to be nominated by the Executive Director ……..... Member-Secretary.

3.3 The composition of the Academic Committee of the Recognised Centre shall be such as provided in the Regional Centre for Biotechnology (Recognition of Institution of Higher Learning within India and conduct of the Academic Programme) Regulations, 2017.

3.4 The term of the nominated members referred to in the ordinance 3.2 shall be three years.

3.5 The powers and functions of the Academic Committee shall be as specified under, namely:-

(i) To exercise general supervision of the conduct and operations of the academic programme of the Regional Centre;

(ii) To prepare academic calendar, advice on student matters, admission criteria, selection methods, and student admission process;

(iii) To frame norms and standards consistent with the Act, Statutes and these Ordinances regarding the academic functions of the Centre, discipline, residence, award of fellowships, studentships, scholarships, medals and prizes, fee concessions, and attendance; and

(iv) to recognise diplomas and degrees of Universities and other institutions and to determine their equivalence.

ORDINANCE 4

Academic Calendar

4.1 There shall be an Academic Calendar for the Regional Centre and the Academic Session shall normally commence from the dates as prescribed by the Academic Committee for each of the programmes.

4.2 The exact dates for important academic events scheduled for the academic sessions shall be specified in the Academic Calendar and in particular, the dates for including release of advertisements, conduct of

examinations for admission if any; orientation, registration, late registration, commencement of classes, submission of documents, examination, declaration of examinations results, vacations (where applicable) and such other matters as may be specified in the Academic Calendar.

4.3 The Academic Session referred to in ordinance 4.1 shall normally commence in July every year and each Academic Session shall consist of two regular semesters (Monsoon semester, July-December; and Autumn semester, January-May). Each such semester shall consist of about fifteen working weeks in addition to one week of mid-semester recess and two weeks of examination period and in addition, a summer semester of four to six weeks during the months of June and July may be used for short-term training or workshop or similar other programmes.

4.4 The Academic Calendar for the Regional Centre and Recognised Centre or any change therein during the session shall require the approval of the respective Academic Committee.

4.5 In order to accommodate the international students, some flexibility in the various dates prescribed in the Academic Calendar may be desirable and for such purposes, the Academic Committee may provide necessary relaxations on a case-by-case basis.

ORDINANCE 5

Admission of Students

5.1 The Regional Centre including the Recognised Centre shall admit students for any or all the programmes of study following the provisions of the Act, Ordinances and Regulations. The Regional Centre shall be open to persons of either sex and transgenders of whatever race, caste or class, and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession while admitting the students.

5.2 Without prejudice to the provisions of the Act and Statutes, a student shall be eligible for admission to any course of study in the Regional Centre or its Recognised Centre subject to the condition that he has passed the admissions as per norms and standards approved by the Board of Studies or any national examination prescribed by the Regional Centre as a prerequisite to the specific programme of study.

5.3 All such candidates who satisfy the requisite qualifications may be considered for admission on the basis of academic record and performance of the candidate at the entrance test, viva voce and interview, if any, as may be determined for each programme of study by the Board of Studies.

5.4 The candidates seeking admission to a specific programme of study offered by the Regional Centre or its Recognised Centre shall apply in the prescribed application form (available online or offline or both) within the last date fixed and notified in the advertisement from time to time for such purpose.

5.5 The number of students to be admitted in a particular course of study in the Regional Centre and the last date of admission for such a course may vary each year and shall be fixed by the Academic Committee keeping the logistics issues under consideration.

5.6 The minimum and maximum duration for the programmes offered by the Regional Centre shall be as specified by the Board of Studies.

5.7 No Student shall ordinarily be admitted to more than one programme of the Regional Centre at a time.

5.8 Candidates studying in the final year of their qualifying degree may be considered for provisional admission to a programme subject to the condition that they satisfy all other requirements.

5.9 Every student, admitted provisionally or otherwise to any programme of study of the Regional Centre, shall submit copies of the qualifying degree or provisional certificate and such other documents as may be determined by the Academic Committee and these documents must be submitted by the date as determined by the Academic Committee for such purpose. The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the stipulated date or fails to meet any other stipulated requirement for admission, may be cancelled.

5.10 If a student who has been admitted to a programme of study is found medically or otherwise unfit, his admission shall be cancelled. Candidate shall be admitted to the programme of the Regional Centre on the basis of the selection criteria specified for the respective programme of study of the Regional Centre or Recognised Centre after paying the prescribed fees.

5.11 All students admitted to the programmes of study of the Regional Centre shall be issued an Identity Card as a *bona fide* student and such identity card shall be issued by the competent authority of the Regional Centre.

5.12 If at any time, it is discovered that such a student has made a false or incorrect statement or other fraudulent means have been used for securing admission, his or her name shall be removed from the rolls of the Regional Centre.

ORDINANCE 6

Admission of students from abroad

6.1 In pursuance of the provisions to the Act, the Regional Centre shall pursue its objectives and discharge functions in close collaborations with other national, regional and international institutions of the UNESCO member countries and such other institutions in the region meeting the vision and objectives of the Regional Centre.

6.2 The Regional Centre shall admit students from abroad following the norms and standards of the Government of India announced from time to time for such purpose.

6.3 The Government of India schemes for promotion of Indian Education Abroad and as followed by the South Asian University, institutions funded by the Central Government including the Direct Admission of Students Abroad (DASA) scheme of the Ministry of the Government dealing with the human resource development being implemented by the National Institutes of Technology (NITs) or the Indian Institutes of Technology (IITs) in India shall form the basis for the admission of the students referred to in ordinance 6.2.

6.4 The Government of India schemes and programmes such as Scholarships Programme for Diaspora Children (SPDC) may also be followed in the case of students referred to in ordinance 6.2 and admitted in the Regional Centre.

6.5 The Regional Centre may also institute scholarships or fellowships to support the admission of foreign students with such terms and conditions as may be determined by the Board.

IndiaCode

ORDINANCE 7

Registration of students for the programmes of study

7.1 Before the commencement of each semester, every student, unless otherwise exempted by the Academic Committee, shall register for the courses to be pursued during that semester on the registration date as specified in the Academic Calendar.

7.2 Each student shall have to sign an undertaking to follow and abide by the code of conduct and academic integrity for the students as determined by the Board of Studies.

7.3 Payment of semester fees, and all other dues outstanding against the name of the student towards the halls of residence or any other recognised organ of the Regional Centre shall ordinarily be a pre-condition for registration under ordinance 7.1.

7.4 For *bona fide* reasons, students may be permitted to register late in a semester on the date so specified in the Academic Calendar on payment of prescribed late registration fee and approval by the Chairperson of the Academic Committee.

7.5 The registration of any student under ordinance 7.1 may be cancelled or changed during the semester, partly or wholly, according to the norms laid down by the Academic Committee.

7.6 A letter grade shall be awarded in a course to a student in the Regional Centre only if the student is duly registered in the course at the time of the award of the letter grade and there are no dues of any kind against the student.

7.7 The registration of a student under ordinance 7.1 may be cancelled in the following circumstances, namely:-

(a) student resigns from the Regional Centre due to reasons mentioned thereof in the letter;

(b) student is continuously absent or he abstains from the lab or the Regional Centre without any notice for ten working days;

(c) for any other untoward incident or disciplinary proceedings as per the disciplinary norms and standards of the Regional Centre.

ORDINANCE 8

Doctor of Philosophy Degree Programme

8.1 Admission:

8.1.1 The minimum qualification for admission to the Doctor of Philosophy programme in the Regional Centre shall be a Master's degree from a recognised institution in any area of science and technology, or a Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree, or an equivalent degree from a University or institution recognised by the Academic Committee, and the Academic Committee shall fix the minimum qualifying marks for making the application for such course.

8.1.2 In addition to the qualification specified in ordinance 8.1.1, the candidate for admission shall qualify a national level test for pursuing Doctor of Philosophy programme and such test include a doctoral fellowship or admission eligibility test conducted at the national level by the University Grants Commission, or Council for Scientific and Industrial Research, or Indian Council for Medical Research, or Department of Science and Technology, or Department of Biotechnology, or any other Government recognised agency.

8.1.3 The candidates, who possess qualifications specified in ordinance 8.1.1 and qualified the test specified in ordinance 8.1.2 shall be admitted to the Doctor of Philosophy programme after a written test or an interview or both as may be specified by the Academic Committee.

8.1.4 The orders of the Central Government issued from time to time relating to reservations and relaxation shall be followed in the admission to the Doctor of Philosophy programme at the Regional Centre.

8.1.5 The Recognised Centres shall follow a similar admission process that shall be approved by the Board of Studies.

8.1.6 The notification for the admission to the Doctor of Philosophy programme at the Regional Centre shall be widely advertised in the national dailies and website of the Regional Centre.

8.1.7 The Regional Centre shall be open to admit students from other countries for the Doctor of Philosophy programme following the policies and decisions of the Central Government in this regard.

8.2 Nature of Doctor of Philosophy Programme:

8.2.1 The Doctor of Philosophy programme at the Regional Centre shall consist of the following two components, namely:-

(i) course work; and

(ii) research work leading to the submission of a thesis.

8.2.2 The Doctor of Philosophy programme in the Regional Centre shall be for a minimum duration of three years and a maximum of six years, including the course work that normally shall not exceed one academic year or two semesters and the general aim of such course work shall be to acquaint the students with the basic laboratory skills and provide broad based knowledge for pursuing research in the specialised fields.

8.2.3 An individual-specific Student Advisory Committee (SAC) constituted by the Executive Director of the Regional Centre shall provide regular mentoring, supervision and guidance to each Doctor of Philosophy student in the Regional Centre.

8.2.4 The studentship beyond the six-year period referred to in ordinance 8.2.2 may be continued based on the recommendation of the Student Advisory Committee referred to in ordinance 8.2.3 and approval by the Academic Committee, but the duration shall not be extended beyond a period of eight years.

8.3 Student Advisory Committee:

8.3.1 The Regional Centre or the Recognised Centre to which the students are admitted for the Doctor of Philosophy programme shall allot to each student a guide, and if necessary a co-guide, before the start of the thesis research component of the such programme and the Academic Committee shall approve the name of such guide and co-guide, if any.

8.3.2 Accreditation of the guides to supervise Doctor of Philosophy students referred to in ordinance 8.3.1 shall be made by the Board of Studies based on the recommendations of the Academic Coordinator and an Assistant Professor or a faculty of higher rank within the Regional Centre, and a scientist at an equivalent position in the Recognised Centre, shall be eligible to be considered as a Doctor of Philosophy programme guide.

8.3.3 The individual Student Advisory Committee referred to in ordinance 8.2.3, chaired by the guide referred to in ordinance 8.3.1, shall consist of a senior member equivalent to an Associate Professor or higher rank, and one or more external experts.

8.3.4 The individual Student Advisory Committee shall meet at least once in each academic year and submit its report on the progress of the student concerned to the respective Academic Committee.

8.3.5 In case a guide or co-guide referred to in ordinance 8.3.1 proceeds on long leave, resigns, superannuates, ceases to be a faculty member of the Regional Centre or the Recognised Centre, as the case may be, before submission of the thesis, a new guide or a co-guide, as the case may be, shall be appointed, but, if the entire experimental work or analysis relating to the thesis have been completed, a Programme Coordinator may be appointed to complete the left over routine formalities concerning the evaluation of the thesis and the respective Academic Committee may approve such appointment and change.

8.3.5 A student may be allowed to change the guide referred to in ordinance 8.3.1 not more than once, during the first two years of Doctor of Philosophy programme with the approval of the Academic Committee.

8.3.6 The admission of the student may be cancelled by the Academic Committee during the first two years of the Doctor of Philosophy programme on the recommendation of the Student Advisory Committee specified in ordinance 8.3.3 based on the lack of progress as requested by the concerned guide appointed under ordinance 8.3.1 or ordinance 8.3.5, and also after giving due opportunities to the candidate for defending his case.

8.4 Course Work:

8.4.1 The student referred to in ordinance 8.3.1 has to complete a course work as specified by the Board of Studies and wherever necessary, a course or courses may be substituted by one or several term papers on subjects or allied subjects or both, so as to ensure that the basic intent of the course work, that is, to make the student acquire broad-based knowledge, is met.

8.4.2 On an eight-point scale, the student referred to in ordinance 8.3.1 is required to secure a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 6.5 and after the successful completion of the course work referred to in ordinance 8.4.1, the Registrar of the Regional Centre shall issue a grade card to the candidate.

8.5 Thesis Research Work:

8.5.1 The individual Student Advisory Committee specified in ordinance 8.2.3, in its first meeting, shall review and approve the thesis protocol before the start of the research work.

8.5.2 Following the completion of the proposed research work, the individual Student Advisory Committee shall review the thesis synopsis, and if found satisfactory, recommend the submission of the research work as the Doctor of Philosophy thesis.

8.5.3 The Academic Coordinator referred to in ordinance 8.3.2 shall forward the thesis synopsis and a list of six examiners, as recommended by the individual Student Advisory Committee, to the Chairperson of the Board of Studies through the Dean (Academics) of Regional Centre, who shall then shortlist four examiners that may or may not be from the list recommended by the individual Student Advisory Committee, and consent of such examiners shall be sought for their willingness to examine the thesis.

8.5.4 The student referred to in ordinance 8.3.1 shall submit to the Dean (Academics) of the Regional Centre a soft copy of the thesis as well as four hard copies of the thesis within six months of approval of the synopsis by the individual Student Advisory Committee specified in ordinance 8.2.3 and such time limit may be relaxed by the Dean (Academics) of the Regional Centre in deserving cases.

8.5.5 The Registrar of the Regional Centre shall forward the thesis to first two examiners in the list approved by the Chairperson of the Board of Studies and monitor subsequent correspondences with them.

8.5.6 Each report of the examiners referred to in ordinance 8.5.5 shall conclude with specific recommendations that the thesis be –

(i) accepted for the award of PhD degree;

(ii) accepted after revisions; or

(iii) rejected.

8.5.7 The examiners are expected to submit their report within eight weeks of the date of receipt of the thesis and in case of undue delay in receiving the thesis report, the Registrar of the Regional Centre with the approval of the Dean (Academics) of the Regional Centre may approach the person next on the list of examiners to act as an examiner.

8.5.8 In case the thesis of a student referred to in ordinance 8.3.1 is rejected by both the examiners, the registration of the student shall be cancelled.

8.5.9 In case one or both the examiners suggest revisions of the thesis of a student referred to in ordinance 8.3.1, the suggested revisions shall be communicated to the student and, after having been duly revised, the thesis shall be re-sent to the examiner, if so recommended by him, otherwise, the individual Student Advisory Committee specified in ordinance 8.2.3 shall decide about acceptability of the revisions.

8.5.10 In case the thesis referred to in ordinance 8.5.9 is rejected by both the examiners even after revisions are made, the registration of the concerned student shall be cancelled.

8.5.11 If report of only one of the examiners of the thesis referred to in Ordinance 8.5.9 is negative, then, the Dean (Academics) of the Regional Centre may go for the opinion of the third examiner.

8.5.12 If the third examiner appointed under ordinance 8.5.11, also declares that the thesis is not acceptable for award of the degree of the Doctor of Philosophy, the registration of the concerned student shall be cancelled.

8.5.13 In case the thesis of the student referred to in ordinance 8.3.1 is recommended for award of the degree of the Doctor of Philosophy, the student shall be examined by the *viva voce* examination board comprising of the thesis guide and one of the thesis evaluators, as decided by the Chairperson of the Board of Studies and if such examination board is satisfied with the performance of the student, it shall sign its report recommending the award of the degree of Doctor of Philosophy to the student.

8.5.14 If the examination board is not satisfied with the performance of the student, it shall fix another date, which shall not be earlier than a month after, and not later than six months from the date of the first *viva voce* examination and if the performance of the student is unsatisfactory even in the second *viva voce* examination, the matter shall be referred to the Board of Studies for a decision.

8.5.15 The report of the *viva voce* examination board referred to in ordinance 8.5.13 signed by the members must reach the office of Dean (Academics) of the Regional Centre through Academic Coordinator for the award of the degree.

8.5.16 The Board shall approve the award of the degree of Doctor of Philosophy to a student referred to in the ordinance 8.3.1 based on the recommendation of the Board of Studies.

8.5.17 The Executive Director may issue a provisional Doctor of Philosophy degree certificate to the concerned student based on the report of the *viva voce* examination board referred to in ordinance 8.5.13 and the recommendation of the Dean (Academics) of the Regional Centre.

8.5.18 A student referred to in ordinance 8.3.1 making an early exit from the programme may be given a certificate of credits earned for the courses completed by the Registrar of the Regional Centre.

IndiaCode

ORDINANCE 9

Doctor of Philosophy (Integrated) Degree Programme

9.1 Admission:

9.1.1 Minimum qualification for admission to Doctor of Philosophy (Integrated) Programme in the Regional Centre shall be Bachelor's degree in Science or Engineering or Medicine or an equivalent degree.

9.1.2 The Academic Committee shall fix the minimum qualifying marks for making the application for such admission.

9.1.3 Admission of the applicants to the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme in the Regional Centre shall be by written test or interview or both as approved by the Board of Studies.

9.1.4 Orders of the Central Government issued from time to time, relating to reservations and relaxation shall be followed in the Regional Centre for admission to the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme.

9.1.5 The Recognised Centres shall follow a similar admission process as for the Regional Centre that shall be approved by the Board of Studies.

9.1.6 Notification made by the Registrar of Regional Centre for the admission to the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme shall be widely advertised in the national dailies and website of the Regional Centre.

9.1.7 The Regional Centre is open to admit students from other countries for the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme following the norms and standards of the Central Government in this regard.

9.2 Nature of Doctor of Philosophy (Integrated) Programme:

9.2.1 The Doctor of Philosophy (Integrated) Programme in the Regional Centre shall consist of two components, namely:-

(i) course work and a Master's dissertation (in case the exit option is exercised or recommended);

(ii) research work leading to the submission of a doctoral thesis.

9.2.2 The duration of the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme referred to in this ordinance shall be a minimum of five years and maximum of seven years including the course work, and the general aim of such course work shall be to acquaint the students with basic laboratory skills and provide broad based knowledge of biotechnology for pursuing research in specialised fields.

9.2.3 An individual-specific Student Advisory Committee (SAC) constituted under ordinance 8.2.3 shall provide regular mentoring, supervision and guidance to each student admitted to the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme in the Regional Centre.

9.2.4 The studentship beyond the seven-year period may be continued based on the recommendation of the individual-specific Student Advisory Committee referred to in ordinance 9.2.3 and approval by the Academic Committee, but the duration shall not be extended beyond a period of eight years.

9.2.5 The student admitted to the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme in the Regional Centre has to complete a course work as specified by the Board of Studies.

9.2.6 On an eight-point scale, the student referred to in ordinance 9.2.5 is required to secure a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 6.5 in the course work referred to in ordinance 9.2.5.

9.2.7 The student referred to in ordinance 9.2.5 shall carry out thesis research work under the supervision of a guide appointed by the Executive Director and the progress shall be monitored by the individual-specific Student Advisory Committee at least once in every year.

9.2.8 The student referred to in ordinance 9.2.5 shall make a presentation of the progress to the individual-specific Student Advisory Committee referred to in ordinance 9.2.3 one month before completing the first-year research.

9.2.9 The individual-specific Student Advisory Committee will evaluate the progress and the aptitude of such student for research and accordingly, the individual-specific Student Advisory Committee referred to in ordinance 9.2.3 shall recommend the continuation of the studentship and research work towards doctoral thesis, or submission of the work carried out by the student as the Master's dissertation.

9.2.10 The student referred to in ordinance 9.2.5 may also exercise the option to drop out of the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme with the Master's degree after earning the stipulated credits from the course work and dissertation.

9.2.11 The Master's dissertation work report shall be examined by the individual-specific Student Advisory Committee referred to in ordinance 9.2.3 through a presentation by the student referred to in ordinance 9.2.5 and *viva voce* examination and if satisfactory, the individual-specific Student Advisory Committee referred to in ordinance 9.2.3 shall issue a certificate to that effect.

9.2.12 After successful completion of the course work and Master's dissertation, the Registrar of the Regional Centre shall issue a grade card to the student referred to in ordinance 9.2.5 and those students who score Cumulative Grade Point Average equal to and above a minimum specified by the Board of Studies shall be awarded a Master of Science degree.

9.2.13 The decision on whether a student referred to in ordinance 9.2.5 shall be allowed a second and last attempt, in the event of failing to secure the necessary grades at the first try, shall be taken by the Academic Committee based on the recommendations of the individual-specific Student Advisory Committee.

9.2.14 A student referred to in ordinance 9.2.5 making an early exit from the Doctor of Philosophy (Integrated) Programme may be given a certificate of credits earned for the courses completed by the Registrar of the Regional Centre.

ORDINANCE 10

Master of Science Degree Programme

10.1 Admission:

10.1.1 Minimum qualification for admission to Master of Science Programme in the Regional Centre shall be the Bachelor's degree in Science or Engineering or Medicine or an equivalent degree and the Academic Committee shall approve the minimum qualifying marks for making the application for such admission.

10.1.2 Admission of the applicants to the Master of Science programme in the Regional Centre shall be by interview or written test or both as approved by the Board of Studies.

10.1.3 Orders of the Central Government issued from time to time relating to reservations and relaxation shall be followed in respect of the admission to Master of Science programme in the Regional Centre.

10.1.4 The Recognised Centres shall follow a similar admission process to the Regional Centre that shall be approved by the Board of Studies.

10.1.5 Notification by the Registrar of the Regional Centre for the admission to the Master of Science programme shall be widely advertised in the national dailies and website of the Regional Centre.

10.1.6 The Regional Centre is open to admit students from other countries for the Master of Science programme following the norms and standards of the Central Government in this regard.

10.2 Nature of the Master of Science Programme:

10.2.1 The Master of Science programme in the Regional Centre and Recognised Centres shall consist of the following two components, namely:-

(i) course work; and

(ii) a Master's thesis.

10.2.2 The duration of the Master of Science programme in the Regional Centre and Recognised Centre shall be two years normally including the course work and the general aim of the course work shall be to acquaint the students with basic laboratory skills and provide broad based knowledge in the field of the biotechnology.

10.2.3 An individual-specific Student Advisory Committee (SAC) constituted by the Executive Director shall provide regular mentoring, supervision and guidance to each student admitted to the Master of Science programme in the Regional Centre.

10.2.4 The studentship beyond the two-year period referred to in ordinance 10.2.2 may be continued based on the recommendation of the individual-specific Student Advisory Committee and approval by the Academic Committee, but such the duration shall not be extended beyond a period of three years.

10.2.5 The students admitted to Master of Science programme in the Regional Centre or Recognised Centre have to complete a course work as specified by the Board of Studies.

10.2.6 On an eight-point scale, the student admitted to Master of Science programme in the Regional Centre or Recognised Centre is required to secure a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 6.5 in the course work as specified by the Board of Studies.

10.2.7 The dissertation work can be carried out by the student admitted to Master of Science programme in the Regional Centre or Recognised Centre or a collaborating biotech industry partner.

10.2.8 The report of the dissertation referred to in ordinance 10.2.7 shall be examined by the individual-specific Student Advisory Committee through a presentation by the concerned student and *viva voce* examination and if satisfactory, the individual-specific Student Advisory Committee shall issue a certificate to that effect.

10.2.9 After the successful completion of the course work referred to in ordinance 10.2.5 and dissertation work referred to in ordinance 10.2.7, the Registrar of the Regional Centre shall issue a grade card to the concerned student.

10.2.10 Those students admitted to Master of Science programme in Regional Centre or Recognised Centre who score marks or grades equal to or above a minimum specified by the Board of Studies shall be declared as having completed the course requirements successfully and shall be awarded a Master of Science degree in Biotechnology.

10.2.11 The decision on whether a student admitted to Master of Science programme in Regional Centre or Recognised Centre shall be allowed a second and last attempt, in the event of failing to secure the necessary grades at the first try, shall be taken by the Academic Committee based on the recommendation of the individual-specific Student Advisory Committee referred to in ordinance 10.2.3.

10.2.12 A student admitted to Master of Science programme in the Regional Centre or Recognised Centre making an early exit from the programme may be given a certificate of credits earned for the courses completed by the Registrar.

ORDINANCE 11

Post Graduate Diploma Programme

11.1 Admission:

11.1.1 Minimum qualification for admission to the Post Graduate Diploma (PGD) in the Regional Centre shall be a Bachelor's degree in Science or Engineering or Medicine or an equivalent degree with the minimum marks as fixed by the Academic Committee.

11.1.2 The selection of students for admission to the Post Graduate Diploma programme in the Regional Centre shall be through a written test or interview or both as decided by the Board of Studies.

11.1.3 Orders of the Central Government issued from time to time relating to reservations and relaxation shall be followed in the admission to the Post Graduate Diploma programme in the Regional Centre.

11.1.4 Notification by the Registrar of the Regional Centre for the admission to the Post Graduate Diploma programme shall be widely advertised in the national dailies and website of the Regional Centre.

11.1.5 The Regional Centre is open to admit students from other countries for the Post Graduate Diploma programme following the norms and standards of the Central Government in this regard.

11.2 Nature of Post Graduate Diploma Programme:

11.2.1 The Post Graduate Diploma programme shall be of one academic year duration and in case any repeat of course work or re-examination is required, it shall be completed in no more than two years from the date of admission of the student to the programme of study.

11.2.2 The Post Graduate Diploma programme in the Regional Centre shall comprise of course work, and work experience or internship as approved by the Board of Studies and such work experience can be gained at the Regional Centre or a Recognised Centre, or an industry partner.

11.2.3 The syllabus for the Post Graduate Diploma programme in the Regional Centre shall be as approved by the Board of Studies.

11.3 Award of Diploma:

11.3.1 On an eight-point scale, the student admitted to the Post Graduate Diploma programme in the Regional Centre is required to secure a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 6.0 in the course work.

11.3.2 The examination result of all the students admitted to the Post Graduate Diploma programme in the Regional Centre shall be communicated to the Dean (Academics) of the Regional Centre by the Academic Coordinator and the successful candidates shall be awarded a Post-Graduate Diploma approved by the Board on the recommendation of the Board of Studies.

IndiaCode

ORDINANCE 12

Teaching and Evaluation

12.1 The medium of instruction in the Regional Centre and the Recognised Centre shall be English language.

12.2 Each course, along with its weightage in terms of credit units in the Regional Centre and Recognised Centres, shall require approval of the Board of Studies and only the courses so approved can be offered during any semester.

12.3 Each approved course under ordinance 12.2, whenever offered in any given semester, shall be conducted by the assigned Course Coordinator with the assistance of the required number of instructors or tutors or adjunct or visiting faculty and the Course Coordinator shall be responsible for conducting the course, holding the examinations, evaluating the performance of the concerned students and awarding the grades at the end of the semester.

12.4 The list of all courses to be offered by the Regional Centre, during any semester shall be finalised before the beginning of the semester by the respective Academic Coordinator.

12.5 The Course Coordinators for all the courses to be offered in the Regional Centre during any semester shall be assigned by the respective Academic Coordinator.

12.6 In each semester in the Regional Centre in any programme, there shall at least be one Mid-Semester Examination and one End-Semester Examination and as far as possible, all the examinations shall be conducted during the announced examination periods.

12.7 Students admitted to any programme in the Regional Centre who fail to appear in any examination, due to *bona fide* reasons, may be permitted to appear in the Make-up Examination following the approval of the Academic Coordinator.

12.8 Each student, registered for a course, shall be awarded a letter grade by the respective Course Coordinator and the grade awarded to a student depends upon his performance in various examinations, quizzes, home assignments, and laboratory work.

12.9 The letter grades to be used and their numerical equivalents shall be as follows, namely:-

LETTER GRADE	GRADE POINT
A+	9
A	8
B+	7

B	6
C+	5
C	4
D	3
F	0

Thesis research or dissertation credits in a programme in the Regional Centre shall be evaluated in terms of "S" and "X" grades ("S" for satisfactory work and "X" for unsatisfactory work) and the numerical equivalents of such "S" and "X" grades are not necessary to be determined.

12.10 A letter grade referred to in ordinance 12.9 once awarded by the Course Coordinator cannot be changed unless the request for change of grade, either by the Course Coordinator or by an Instructor or Tutor of the course, is approved by the Dean (Academics) of Regional Centre, and any request for change of grade shall be made within six weeks of the start of the next semester and shall be justified with reasons for recommending the change of the grade.

12.11 The academic performance of a student in the Regional Centre in a given semester shall be measured in terms of the Semester Grade Point Average (SGPA), which is the weighted average of the grade points earned, the weights being the course weights or credits. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be computed in a similar manner taking into consideration the grade points of all the courses that a student in the Regional Centre has earned in the programme.

12.12 Whenever a student in the Regional Centre is permitted to repeat or substitute a course, the initial grade in the course is to be ignored in the computation of the grade point average.

12.13 The "X" and "S" grades referred to in ordinance 12.9 shall not be considered while computing the grade point average.

12.14 A student in the Regional Centre shall be called 'academically deficient' if his performance at the end of a regular semester in terms of Semester Grade Point Average is <5.0 and the Academic Committee shall review such cases and give in writing any conditions to the academically deficient student for continuation, or may even terminate the programme of the student if in their assessment his performance is highly unsatisfactory.

12.15 A student in the Regional Centre whose programme has been terminated by the Academic Committee on account of unsatisfactory academic performance shall have the right to appeal to the Chairperson of the Board of Studies against such a termination and while making such an appeal, the student is expected to give reasons for the poor academic performance.

12.16 The Chairperson of the Board of Studies, after considering all the available inputs, shall take a final decision on each such appeal and no further petition or request for review of the termination shall be entertained by the Chairperson of the Board of Studies, unless some substantial additional information is brought to his notice.

12.17 The Cumulative Grade Point Average referred to in ordinance 12.11 may be converted to percentage of marks with the following formula, namely:-

Percentage of marks = (CGPA x 10) + 5.

ORDINANCE 13

Graduation Requirements and Grant of Degrees

13.1 A student of the Master of Science programme or Doctor of Philosophy programme in the Regional Centre or Recognised Centre with a Cumulative Grade Point Average <6.5 is not eligible for graduation and a student of a Post Graduate Diploma programme with a Cumulative Grade Point Average <6.0 shall not be eligible for the Diploma certificate.

13.2 A student in the Regional Centre or Recognised Centre shall be deemed to have completed the graduation requirements, if the student has --

(a) passed all the prescribed courses for such graduation;

(b) attained the minimum required Cumulative Grade Point Average;

(c) satisfied the minimum academic and residence requirements;

(d) satisfied all the requirements specified by the Regional Centre or concerned Recognised Centre, if any;

(e) satisfied all the requirements specified by the Board of Studies under these ordinances, and in addition, the student has paid all the dues to the Regional Centre or concerned Recognised Centre, and there is no pending case of indiscipline against such student.

13.3 A student who has completed all the graduation requirements under ordinance 13.2 shall be recommended by the Board of Studies to the Board for the award of appropriate Degree or Diploma in the ensuing Convocation and a Degree or Diploma may be awarded only after the Board has approved the award of the Degree or Diploma, but Executive Director may issue a provisional degree or diploma certificate in case of an urgency.

13.4 Under extremely exceptional circumstances, where gross violation of the graduation requirements under ordinance 13.2 is detected at any later stage, the Board of Studies may recommend to the Board to withdraw the Degree or Diploma already awarded under ordinance 13.3.

13.5 The Board, may by a resolution passed by a majority of not less than two-third of the members present, withdraw a degree or academic distinction conferred upon, or any certificate or diploma granted to any person by the Regional Centre for good and sufficient cause: Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to such person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice as to why such a resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence which he may produce in support of them, have been considered by the Board of Studies and recommended to the Board.

IndiaCode

ORDINANCE 14

Fees Payable by the Students

14. 1 Details of fees and other charges payable by the students in the Regional Centre for different programmes of studies shall be specified in the Admission Brochure or Prospectus issued by the Regional Centre from time to time after the approval of the Board of Studies.

14.2 The students admitted in the Regional Centre to a course of study shall pay the fees including hostel fees and mess charges as prescribed by the Board of Studies and notified from time to time by the Regional Centre or Recognised Centre.

14.3 Fees may include academic administration fees, tuition fees, caution deposit, alumni fees, fines and any other payment by the student, which is required to be paid as per notification in force from time to time with the approval of the Executive Director.

14.4 The Executive Director shall have the power to grant full or partial waiver of fees to a student in the Regional Centre for a programme of study on the recommendation of a committee constituted by him for the purpose, but such free-ship shall not exceed five per cent of the total student strength in such particular programme of study and the free-ship shall be sanctioned on a year-to-year basis.

14.5 The following factors shall be taken into account while making recommendation on the applications of the students for grant of such freeship, namely:-

(i) achievements in the academic record by the student;

(ii) the financial position of the parents or guardian of the student; and

(iii) any other considerations to be put in record of the student.

14.6 Students of the Recognised Centre shall pay only the academic administration fees as specified by the Board of Studies from time to time.

14.7 The fee structure of the Regional Centre shall be reviewed by the Board of Studies every three years and notified accordingly by the Regional Centre.

ORDINANCE 15

Fellowships, Scholarships and Awards

15.1 Doctoral students of the Regional Centre shall normally receive fellowship from the Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Agricultural Research or Department of Biotechnology or Department of Science and Technology or University Grants Commission or any other source for which they have qualified and have been declared eligible and the Regional Centre shall sponsor or forward their cases to the fellowship granting agencies to enable them to receive the fellowship.

15.2 The Regional Centre may also award scholarship or fellowship or assistance to its students pursuing various academic programmes and the procedure for such awards shall be approved by the Board: Provided that these awards shall be liable to be withdrawn, partially or wholly, in case of misconduct, deliberate concealment of material facts or supply of false information in the manner as approved by the Board.

15.3 Students of the Regional Centre leaving the Regional Centre on their own accord without completing the programme of study may be required to refund the amount of award money received during that year.

15.4 No student of the Regional Centre shall receive two scholarships or awards simultaneously.

15.5 Scholarships to the students of the Regional Centre shall not be paid beyond the specified duration of the course or the duration stipulated by the fellowship-granting agency.

15.6 To promote and recognise academic excellence, constructive leadership, and overall growth and development of students in the Regional Centre, the Board of Studies shall award prizes and medals to be instituted by the Regional Centre or through endowment or grants of donors and the norms and conditions for the institution of such awards shall require approval of the Board.

15.7 Students of the Regional Centre may also receive financial assistance from the Central Government, any State Government, Public Sector Organisations, private industrial and commercial organisations, or research schemes directed by the faculty members of the Regional Centre, as the case may be.

ORDINANCE 16

Leave and Absence

16.1 Absence of a student of the Regional Centre during the semester shall be discouraged, but, for *bona fide* reasons, such a student may be granted leave of absence as per provision made for such absence in these Ordinances and all such leave shall be obtained with prior permission of the concerned academic supervisor or guide assigned to the student by the Regional Centre.

16.2 Students of the Regional Centre pursuing post graduate programme shall be entitled to the following leave of absence without loss of financial assistance, namely:-

(a) vacation leave for five days per semester;

(b) casual leave of five days per semester; and

(c) medical leave of five days per semester.

16.3 In case of medical leave referred to in clause (c) of the ordinance 16.2, the application shall be suitably supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner.

16.4 A female student of the Regional Centre with less than two surviving children, shall be entitled to maternity leave for a period not exceeding two hundred and forty days during the entire duration of the programme and the application for such leave needs to be supported by a certificate given by a recognised or registered medical practitioner.

16.5 A female student of the Regional Centre is entitled for 45 days leaves, in the entire duration of her programme, in case of the miscarriage or abortion whether induced or otherwise and the application for such leave needs to be supported by a certificate given by a recognised or registered medical practitioner and that leave is admissible irrespective of number of her surviving children.

16.6 A male student of the Regional Centre having less than two surviving children, may be granted Paternity Leave for a period of fifteen days before or up to six months from the date of delivery of his child.

16.7 Leave of absence of a student of the Regional Centre beyond that provided in the ordinances 16.2 to 16.6 may also be granted by the Academic Committee under exigency, but such leave of absence shall entail loss of financial assistance, if any.

16.8 Unauthorised leave, that is to say, absence without due permission of the Regional Centre may result in termination of the admission of the student in the concerned programme of study.

16.9 Students of the Regional Centre are expected to complete their respective academic programme without any break, but for *bona fide* reasons, such students may be granted leave of absence from the programme, and such absence shall ordinarily not exceed two semesters with or without break, and require approval of the Dean (Academics) of the Regional Centre following the recommendation of the Academic Committee.

IndiaCode

ORDINANCE 17

Halls of Residence

17.1 Each student of the Regional Centre shall be eligible to be allotted a room or shared accommodation in one of the Halls of Residences of the Regional Centre depending upon the availability.

17.2 For each such Hall of Residence referred to in ordinance 17.1, the Executive Director shall appoint a Warden-in-Charge who shall be an academic staff of the Regional Centre and the Warden-in-Charge of such a Hall shall be responsible for managing the functioning of the Hall efficiently to the satisfaction of the Executive Director.

17.3 Every student residing in such a Hall referred to in ordinance 17.1 may join the Hall Mess, but the Warden-in-Charge referred to in ordinance 17.2 may exempt such an individual student from the Hall Mess on medical grounds for a specified period.

17.4 Every student residing in a Hall referred to in ordinance 17.1 shall be personally responsible for the safe up-keep of the furniture and other items supplied to him and shall be charged for any damage or loss caused by design or negligence during the occupancy of the room by him.

17.5 Every student residing in a Hall referred to in ordinance 17.1 is required to pay the mess bill by the due date, announced by the Warden-in-Charge referred to in ordinance 17.2, and failure to pay such bill in time may result in fine or such other penalty as such the Warden-in-Charge may deem fit, and even the admission of such student in the Regional Centre may be cancelled in case of failure to clear the mess bill within thirty days of the due date.

17.6 Besides the payment of mess bill referred to in ordinance 17.5, every student referred to in ordinance 17.1 shall also pay establishment charges every month at the rate prescribed from time to time by the Warden-in-Charge referred to in ordinance 17.2 and such charges shall be in addition to the mess bill.

17.7 Students residing in a Hall referred to in ordinance 17.1 shall respect the right of each individual to express his ideas, pursue his interests and follow the style of life most meaningful to him, but shall not indulge in political or religious campaign in the Hall.

17.8 No student shall use liquor, drugs, or any other intoxicants in the Halls of Residences referred to in ordinance 17.1 and premises attached therewith.

17.9 Every student residing in a Hall referred to in ordinance 17.1 shall comply with all the norms and standards determined by the Warden-in-Charge referred to in ordinance 17.2 for maintaining peaceful atmosphere in the concerned Hall of Residence in the Regional Centre and such Warden-in-Charge shall take necessary action against the defaulters in accordance with disciplinary norms approved by the Academic Committee.

ORDINANCE 18

Discipline among Students

18.1 All powers relating to the maintenance of discipline, and disciplinary action in relation to the students of the Regional Centre shall vest in the Executive Director and the Executive Director may delegate all or any of his disciplinary powers, as he deems proper, to such officers of the Regional Centre as he may specify in this behalf.

18.2 At the time of admission to a programme of study in the Regional Centre, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Regional Centre and the executive authorities of the Regional Centre and each such student shall have to sign an undertaking to follow and abide by the code of conduct and academic integrity for the students at the time of his admission to a programme of study in the Regional Centre.

18.3 Each student admitted to a programme of study in the Regional Centre shall conduct himself, both within and outside the campus of the Regional Centre, in a manner befitting a student of an 'Institution of National Importance' and no such student is expected to indulge in any activity that tends to bring down the prestige of the Regional Centre.

18.4 Every student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators, officers and employees of the Regional Centre; and, good neighborly behavior to fellow students, and shall also be expected to pay due attention and courtesy to the visitors and residents of the campus.

18.5 Lack of courtesy and decorum; unbecoming conduct (both within and outside the Centre); willful damage or removal of the Regional Centre property or belongings of a fellow student; disturbing fellow students in their

studies; adoption of unfair means during examinations; breach of norms and standards of the Regional Centre; noisy and unseemly behavior and similar other undesirable activities shall constitute violation of the Code of Conduct referred to in the ordinance 18.2.

18.6 Violation of the Code of Conduct specified in ordinance 18.5 by any student admitted in any programme of study in the Regional Centre shall invite disciplinary action and may merit punishment, such as reprimand, disciplinary probation, fine, being debarred from examination, debarring the use of placement services, withholding of grades, withholding of degree, cancellation of registration and even dismissal from the Regional Centre.

18.7 The Warden-in-Charge referred to in the ordinance 17.2 of the concerned Hall of Residence shall have power to reprimand or impose fine or take any other such suitable measure against any resident of the Hall, who violates either the norms and standards determined by the Executive Director for the Halls of Residence or the Code of Conduct specified in ordinance 18.5.

18.8 The Course coordinator of a course of study in the Regional Centre shall have the power to debar a student admitted to such course from the examination in which the student is detected to be using unfair means and the Instructor or Tutor for such course shall have the power to take appropriate action against such a student who attempts to misbehave in the class of such course.

18.9 Ragging in any form is strictly prohibited in the Regional Centre including its Halls of Residence and other premises attached to such Centre or Halls and any involvement in such ragging of a student shall be considered as a serious misconduct, leading to dismissal of such student from the Regional Centre.

18.10 The Executive Director shall constitute a Student Disciplinary Committee and define its jurisdiction to investigate the alleged misdemeanor reported in such Committee and to recommend a suitable course of action, and any student or a teacher and the Executive Director or any other functionary of the Regional Centre may report violation of the Code of Conduct specified in ordinance 18.5, by a student, or a group of students admitted to any programme of study in the Regional Centre, to such committee.

18.11 Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action, as may seem to him appropriate for the maintenance of discipline, in the Regional Centre, the Executive Director shall also have power to direct by order, that any student or students admitted to any programme of study in the Regional Centre be expelled or rusticated, for a specified period, or be not admitted to a programme or programmes of study, as the case may be, of the Regional Centre for a stated period, or be punished with fine for an amount to be specified in the order, or be debarred from taking an examination conducted by the Regional Centre for one or more years, or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be withheld or cancelled for the reasons specified in such order.

18.12 A defaulting student imposed with minor penalty, who feels aggrieved with the punishment awarded, may prefer an appeal to the Executive Director stating clearly the reasons for his grievance as against such punishment and the decision of the Executive Director shall be final and binding on the student.

18.13 A defaulting student imposed with major penalty, who feels aggrieved with the punishment awarded, may prefer an appeal to the Board of Studies stating clearly the reasons for grievance as against such punishment and the decision of the Board of Studies shall be binding on the student.

18.14 A student who is found guilty of some major misconduct in the opinion of the Board of Studies may not be recommended by it for the award of a degree or diploma or certificate even if all the academic requirements have been satisfactorily completed by such student.

18.15 Without prejudice to the provisions of these Ordinances, the Academic Committee shall also have powers to draw out the code of conduct for the students which shall have same effect, and for the violation of which shall have the same consequences, like the other code of conduct for the students under these Ordinances.

18.16 For the removal of doubts, it is clarified that in these Ordinances, the terms "programme of study", "course of study" and "academic programme" with their grammatical variations and cognate expressions, shall have the same meaning.

ORDINANCE 19

Recognition and approval of the Recognised Centres

19.1 The Board of Studies shall consider proposals from institutions of higher learning within India and recommend to the Board for recognising their courses or programmes that fall under the purview of objectives and functions of the Regional Centre from the view point of its desirability, viability and conformity and the same procedure shall prevail for institutions and research centers outside India.

19.2 The institution so recommended and recognised under ordinance 19.1 by the Board shall be named as a 'Recognised Centre' of the Regional Centre of Biotechnology.

19.3 Following the approval of the Board, the institutions referred to in ordinance 19.1 desirous of being recognised under the said ordinance shall enter into a written memorandum with the Regional Centre and the memorandum shall specify the objectives, needs and specific activities covered under the collaboration.

19.4 The Recognised Centre shall conduct the academic programme as specified by the Board of Studies and the Regional Centre shall award the certificates, diplomas, or degrees to those students of such Recognised Centre having fulfilled the academic requirements.

19.5 No institution referred to in ordinance 19.1 shall be admitted to the privileges of recognition of its academic programme by the Regional Centre, unless -

(a) it is run by the Government, the Central Government, a State Government, or a competent local authority, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;

(b) it is managed by a governing body constituted in accordance with the scheme of management as specified by its memorandum of association;

(c) it undertakes to adhere to the provisions of the Act, the Statutes, these Ordinances and the Regulations of the Regional Centre relating to the academic programme, and to comply with the standing orders, directions and instructions of the Regional Centre for the academic programme;

(d) it has suitable and adequate physical facilities in terms of space, accommodation, laboratories and workshops, equipment, library and reading room, furniture and other infrastructural facilities for maintenance of requisite academic standards;

(e) it has appropriate faculty, teachers and other employees in the number required for imparting the proposed academic programme;

(f) it provides for teaching of subjects and courses of study as approved by the Regional Centre;

(g) it undertakes not to admit students in excess of the number permitted by the Regional Centre;

(h) it has adequate financial resources to the satisfaction of the Board to ensure its financial stability, continued maintenance and functioning; and

(i) it has arrangements for the residence, wherever needed, discipline and supervision of students and for promoting their health, general development and welfare.

19.6 The Board of Studies may on its own review the application for recognition by an institution referred to in ordinance 19.1 or consider the report of a panel appointed for inspection of such institution for the purpose of recommendations under the said ordinance.

19.7 It shall be open to the Board to not accept a proposal under this ordinance in whole or in part mentioning the subjects, courses of study and the number of students to be admitted and also impose such other conditions, if any, as it may deem fit.

19.8 A Recognised Centre shall report all changes in the teaching staff and all other changes that may affect the fulfilment of the conditions of recognition to the Regional Centre within a month of the change coming into effect.

19.9 A Recognised Centre shall execute an agreement guaranteeing that it shall follow the provisions of the Act, the Statutes, these Ordinances, Regulations, orders, directions and instructions of the Regional Centre in regard to the academic programme.

19.10 A Recognised Centre shall not, without the previous permission of the Board, suspend instruction in a subject or a course of study, which it had proposed to teach and actually teaches.

19.11 Tuition fees, enrolment fees, examination fees, and other charges levied on the students in a Recognised Centre shall be at the rates approved by the Board of Studies from time to time: Provided that where the statutory authority having control over the Recognised Centre has specified a formula for determining the tuition fee and other charges, they shall be levied accordingly.

19.12 A Recognised Centre shall pay to the Regional Centre the annual recognition fee as decided by the Board of Studies from time to time.

19.13 If a Recognised Centre ceases to function or is transferred to a different society, trust, individual or a group of individuals without the prior approval of the Regional Centre, the recognition granted to the concerned institution shall lapse.

IndiaCode

19.14 A Recognised Centre shall furnish such reports, returns and other information to the Regional Centre as may be deemed necessary by the Board to ensure continued fulfilment of the conditions of recognition.

19.15 The Regional Centre shall cause every Recognised Centre to be inspected at least once in every three years or at such intervals as may be decided by the Board from time to time, by a committee of competent persons authorised by the Board in this behalf.

19.16 The Board may, at any time, arrange a special inspection of a Recognised Centre on such aspects of its functioning as it may deem relevant to its academic functioning and the Board may, on the basis of the report made to it in this regard and after giving a reasonable opportunity to the governing body of the Recognised Centre of being heard, and making such further inquiry as it deems fit, give directions to the institution requiring it to rectify any defect or deficiency found in the functioning of the institution and such direction shall be binding on the Recognised Centre.

19.17 The privileges conferred on Recognised Centre may be withdrawn in part or in whole or modified, if the Recognised Centre has failed to comply with any of the provisions of the Act, the Statutes, these Ordinances, Regulations or any order, direction or instruction of the Board in regard to the academic programme, or has failed to observe any of the conditions of recognition, or has conducted itself in a manner prejudicial to the interest of the Regional Centre or its norms and standards.

19.18 Subject to the conditions of recognition and other provisions related thereto set forth in these Ordinances, the Board may lay down any other condition or conditions and the procedure which may be considered necessary to be adopted for the proper functioning of a Recognised Centre, which shall be binding on such Recognised Centre.

19.19 In case of any doubt or dispute, a Recognised Centre may refer the matter including the interpretation of these Ordinances to the Board and the decision or as the case may be, the interpretation of the Board in this regard shall be binding on the Recognised Centre.

Prof. Y.K. GUPTA, Chairperson of the Programme Advisory Committee”

CHANDRA PRAKASH GOYAL, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./234/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.20 19:53:48 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.